[2021] 11 एस. सी. आर. 672

द जामिया मस्जिद

वी.

श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। & ओआरएस।

(2014 की सिविल अपील सं. 10946)

23 सितंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ

और हिमा कोहली, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-- एस. 11-रेस जुडिकाटा

अपीलार्थी-जामा मस्जिद गुब्बी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से एक मुकदमा दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा करने की मांग की गई कि राज्य वक्फ बोर्ड मुकदमे की संपत्ति का मालिक है। 2

4) बचाव पक्ष ने कहा कि मुकदमे को तीन पूर्व मुकदमों में निर्णयों के आधार पर अदालत द्वारा प्रतिबंधित किया गया है-यह उनके लिखित बयान में कहा गया था

बयान कि वाद संपत्ति प्रतिवादियों के पूर्ववर्ती 'ए. के.' की व्यक्तिगत संपत्ति थी (सं. 5-9) और 'ए. के.' के अधिकार के दावे पर पहले के मुकदमों में निर्णय लिया गया था-निचली अदालत ने

एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में रेस जुडिकाटा का मुद्दा और यह अभिनिर्धारित किया कि मुकदमे को पहले स्थापित किए गए मुकदमों के आधार पर रेस जुडिकाटा द्वारा वर्जित किया गया था-ट्रायल कोर्ट की डिक्री के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया गया था

जिला न्यायालय-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुकदमा न्यायाधीश द्वारा वर्जित नहीं था और मामले को निचली अदालत में भेज दिया-उक्त फैसले के खिलाफ एसएलपी में, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया-रिमांड के बाद, उच्च न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया

अपील की और अभिनिर्धारित किया कि मुकदमे को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वर्जित किया गया था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः पहला मुकदमा यू/स्थापित किया गया था। पाँच निवासियों द्वारा सी. पी. सी. की धारा 92

राहत की बात

'ए. के.' के खिलाफ शहर, जो मस्जिद का प्रबंधन कर रहा था, अन्य बातों के साथ-साथ उक्त मस्जिद की संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक योजना का निपटारा कर रहा था-इस बात पर कोई निर्णय नहीं था कि क्या 'ए. के.' का सूट संपत्ति पर पूर्ण अधिकार था और पहले मुकदमे में जारी मामला तत्काल मुकदमे के मुद्दों से अलग था-दूसरे मुकदमे में मांगी गई राहत एक घोषणा थी कि संपत्ति एक वक्फ और सूट संपत्ति के

कब्जे की डिक्री है-उक्त मुकदमा एक समझौता याचिका के आधार पर तय किया गया था-समझौता पट्टे के अंत में सूट संपत्ति के कब्जे पर पूर्व पट्टेदार के मुद्दे तक सीमित था-'ए. के.' के स्वामित्व के कथित दावे का निर्णय नहीं किया गया था-तीसरा मुकदमा अदालत द्वारा स्थापित किया गया था।

672 द जामिया मस्जिद बनाम। श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा।

जिस वाद से तत्काल कार्यवाही उत्पन्न होती है, उसके लिए दायर किया गया था एक मूल घोषणा और एक निषेधाज्ञा सं.

पक्षकारों के अधिकारों पर निर्णय तीसरे मुकदमे में किया गया था

उच्च न्यायालय ने बचाव के सिद्धांत को लागू करने में त्रुटि की

न्यायपालिका-इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों को आकर्षित करने के लिए, निम्नलिखित अवयवों को पूरा किया जाना चाहिएः

मामला प्रत्यक्ष और सारगर्भित होना चाहिए था।

((i)

पूर्व सूट में मुद्दा;

((ख)

इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए और अंत में इसके द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए

पूर्व वाद में न्यायालय;

(iii) पहला मुकदमा उन्हीं पक्षों के बीच या उन पक्षों के बीच होना चाहिए जिनके तहत वे या उनमें से कोई भी दावा करता है, जो एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा कर रहे हैं; और ((iv) जिस न्यायालय में पूर्व मुकदमा दायर किया गया था, वह बाद के मुकदमे या उस मुकदमे की सुनवाई करने के लिए सक्षम है जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया है। [पैरा 17] [694-डी-एफ]

रेस जुडिकाटा एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में

2. यह तर्क दिया गया था कि रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के अनुप्रयोग का कोई भी निर्धारण केवल साक्ष्य के बाद ही किया जा सकता है एक पूर्ण-स्तरीय मुकदमे के अनुसार प्रस्तुत किया गया। जबकि अदालत ने

आर. एस. की याचिका की प्रयोज्यता का विश्लेषण करना

न्यायपालिका पहले यह निर्धारित करती है कि क्या धारा 11 सी. पी. सी. की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है; और यदि इसका सकारात्मक उत्तर दिया जाता है, तो इसका होगा -

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कानून में कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है

या तथ्यों के बाद से पहला मुकदमा घोषित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप

रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यह न्यायालय असमर्थ है

अपीलार्थियों के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने के लिए जो न्यायपालिका कर सकती है

कभी भी प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। कुछ मामलों में,

विशेष रूप से जब कानून या तथ्य का एक मिश्रित सवाल उठाया जाता है, साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद इस मुद्दे पर पूर्ण सुनवाई की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

1] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान मामले में, न्यायिक निर्णय के घटकों का निर्धारण पहले के मुकदमों में दलीलों और निर्णयों को चालू करता है जिन्हें रिकॉर्ड में लाया गया है। मसला यह है कि

न्यायालय (इस आधार पर कि सभी पक्षों को नहीं सुना गया था, इस न्यायालय द्वारा रिमांड के आदेश के बाद दूसरा)। इस मुद्दे को तय करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजी सामग्री अदालत के समक्ष है और प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा दलीलों को पूरी तरह से उसी आधार पर संबोधित किया गया है। [पैरा 23] [699-जी-एच; 700-ए-सी]

रेस जुडिकाटा की याचिका और पिछले तीन मुकदमे

I. फर्स्ट सूट/OS 92/1950-51

3. ओएस 92/1950-51 को गुब्बी शहर के पांच निवासियों द्वारा मस्जिद का प्रबंधन करने वाले 'एके' के खिलाफ स्थापित किया गया था। सूट।

सी. पी. सी. की धारा 92 के प्रावधानों के तहत मस्जिद के प्रबंधन के लिए एक योजना को निपटाने के लिए स्थापित किया गया था क्योंकि 'ए. के.' पर मस्जिद को उपार्जित धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था और वह मस्जिद की संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहा था।

[पैरा 25] [700-डी-ई]

4. भगवानदासजी ने सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत एक प्रतिनिधि मुकदमे के दायरे पर निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं:

(i) वादी केवल उन राहतों की मांग कर सकता है जो सी. पी. सी. की धारा 92 के किसी भी खंड के तहत आते हैं। एक घोषणा कि मुकदमा संपत्ति न्यास से संबंधित है, धारा 92 सी. पी. सी. में उल्लिखित किसी भी राहत के दायरे में नहीं आता है और प्रावधान के दायरे से बाहर है; (ii) केवल इसलिए कि प्रतिवादी स्वामित्व से इनकार करता है।

वाद संपत्ति पर न्यास की, न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त नहीं किया जा सकता है; (iii) जब न्यास के अधिकार का विरोध किया जाता है, तो अंतिम राहत पर निर्णय के उद्देश्य से वाद संपत्ति के अधिकार का निर्धारण आवश्यक है, और इस प्रकार इसे मुख्य राहत के लिए सहायक बनाया जा सकता है यदि वादी राहत का हकदार है।

मुक़दमे की संपत्ति का शीर्षक बनाया जा सकता है क्योंकि यह होगा मुकदमे में अंतिम निर्णय के लिए अप्रासंगिक होना। [पैरा 33] [704-एफ-एच; 705-ए-बी] द जामिया मस्जिद बनाम।

श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा।

4.1 भगवानदासजी में विकसित सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत पहले मुकदमे में मांगी गई राहत मस्जिद के प्रबंधन की योजना के निर्धारण के लिए थी। सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत मस्जिद के संबंध में सूट संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण मुख्य राहत के लिए सहायक था। [पैरा 33] [705-सी-डी]

5. दोहरा परीक्षण जिसका उपयोग यह पहचानने के लिए किया जाता है कि क्या पिछले मुकदमे में किसी मुद्दे का निर्णायक रूप से निर्णय लिया गया हैः

ए. क्या इस मुद्दे का निर्णय सिद्धांत मुद्दे ('आवश्यकता परीक्षण') पर निर्णय लेने के लिए 'आवश्यक' था; और

ख. क्या वाद में निर्णय उस मुद्दे पर निर्णय पर आधारित है ('अनिवार्यता परीक्षण')।

हाथ में मामले में आवश्यकता परीक्षण को लागू करने पर, यह पहचानना होगा कि क्या एक तैयार करने के सिद्धांत मुद्दे पर निर्णय

मस्जिद के प्रशासन के लिए योजना मुकदमे के शीर्षक के निर्णय के बिना नहीं बनाई जा सकती थी। वादी में प्रतिवादी के खिलाफ दो अलग-अलग आरोप हैं, 'एके': (i) कि वह मस्जिद के धन का दुरुपयोग कर रहा था; और (ii) कि वह सूट संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर रहा था। प्रतिवादी ने प्रतिवाद किया कि मुक़दमे की संपत्ति उसकी है। इसलिए, चूंकि अधिकार का विरोध किया गया था, इसलिए यह आवश्यक था कि अदालत पहले मुकदमे में यह निर्धारित करे कि मस्जिद के प्रशासन की योजना पर निर्णय लेने के लिए मुकदमा संपत्ति मस्जिद की है या नहीं। यह तर्क कि निचली अदालत एक प्रतिनिधि मुकदमे में मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व पर निर्णय नहीं ले सकती थी, भगवानदासजी के मामले पर भरोसा करते हुए पूर्ववर्ती धारा में पहले ही संबोधित किया जा चुका है। पहले मुकदमे में निर्णय पर अनिवार्यता परीक्षण लागू करने पर, यह पहचानना होगा कि क्या उस मामले में अदालत द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय में बदलाव किया जाएगा यदि स्वामित्व पर मुद्दा अन्यथा निर्धारित किया गया था। क्या मस्जिद के प्रशासन की योजना में मुक़दमे की संपत्ति भी शामिल होगी, पूर्व मुक़दमे में निर्णय के लिए आवश्यक था। में

अगले खंड में हम यह पता लगाएंगे कि पूर्व वाद में निर्णय की प्रकृति और महत्व क्या था। [पैरा 40] [710-ई-एच; 711-ए-सी]

6. मुक़दमे की संपत्ति पर निर्णय इस बात पर केंद्रित था कि क्या यह मस्जिद से संबंधित है।

प्रथम दृष्टया संपत्ति को मस्जिद से संबंधित नहीं घोषित किया गया था, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि यह खाज़ी 'ए. के.' की व्यक्तिगत संपत्ति थी, जिस पर उनका पूर्ण या अविभाज्य अधिकार था, विशेष रूप से उनके बयान को देखते हुए कि संपत्ति उनके पूर्वजों को उनकी सेवाओं के लिए इनाम के रूप में दी गई थी। इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि क्या मुक़दमे की संपत्ति एक व्यक्तिगत इनाम थी या कार्यालय से जुड़ी इनाम; अनुदान की शर्तों पर पहले के मुक़दमे में कोई निर्णय नहीं था। इस प्रकार, पूर्व मुकदमे में मुकदमे की संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व पर कोई निर्णय नहीं दिया गया था। एक साथ पढ़ने पर, निष्कर्ष जो अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 10 में आए हैं

पहले वाद में विचारण न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि जिला न्यायाधीश ने यह निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला कि उस वाद की अनुसूची की मद 2 (जो वर्तमान मामले में वाद अनुसूची संपत्ति से मेल खाती है) 'ए. के.' की व्यक्तिगत संपत्ति थी। वास्तव में, ऊपर निकाले गए पैराग्राफ 10 में "प्रथम दृष्टया सही" अभिव्यक्ति का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जिला न्यायाधीश के फैसले में कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं था। जिला न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यदि प्रतिवादी ने अनुदान में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं किया है तो न्यास उस मुकदमे में अनुसूची की मद 2 और मद 3 के संबंध में उचित कदम उठा सकता है। इस प्रकार अंक संख्या 1 पर निष्कर्ष जो आइटम 1,4 को अनुसूचत करता है

और 15 मस्जिद से संबंधित हैं जिन्हें विशेष रूप से ऊपर बताए गए संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। यह मुकदमा कि 'ए. के.' का मुक़दमे की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार था।

[पैरा 42] [711-जी-एच; 712-ए-डी]

7. इस प्रकार, तत्काल कार्यवाही को जन्म देने वाला मुकदमा निम्नलिखित कारणों से पहले मुकदमे द्वारा वर्जित नहीं हैः

(i) पहले मुकदमे में अदालत को यह निर्धारित करने से बाहर नहीं किया गया था कि मुकदमा संपत्ति मस्जिद की है या नहीं।

धारा 92 सी. पी. सी. के तहत एक मुकदमे में प्रशासन के लिए योजना; (ii) धारा 92 के तहत मुकदमा एक प्रतिनिधि चरित्र का है और डिक्री ट्रस्ट की संपत्ति में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को बाध्य करेगी; (iii) पूर्व मुकदमे में एक 'प्रथम दृष्टया' निष्कर्ष था कि सूट संपत्ति 'ए. के.' की थी; और (iv) एक मुकदमे के संदर्भ में

प्रशासन की एक योजना को निपटाने के लिए, पहले मुकदमे में मुद्दा यह था कि क्या सूट की संपत्ति जामिया मस्जिद की थी।

वहाँ जामिया मस्जिद बनाम। श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा।

क्या कोई निर्णय या निष्कर्ष नहीं था कि खाज़ी 'ए. के.' का पूर्ण शीर्षक था

संपत्ति पर, विशेष रूप से 'एके' के बयान को देखते हुए कि संपत्ति को खाज़ी इनाम के रूप में दिया गया था,

अदालत का अवलोकन कि संपत्ति पर उसका 'प्रथम दृष्टया' अधिकार था। इसलिए, 'एके' के शीर्षक का कथित दावा नहीं है।

न्यायनिर्णित। इस प्रकार, वे मामले जो पहले मुकदमे और तत्काल कार्यवाही में अदालत के समक्ष जारी किए गए थे, अलग हैं। [पैरा 43] [712-ई-एच; 713-ए-बी]

II. 1968 का दूसरा सूट/ओएस 748

8. यह मुकदमा मैसूर राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया था। ए. के. और एच. एस. जी. को मुकदमे में पहले और दूसरे प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। शिकायत में निम्नलिखित शामिल थेः

अनुमानः (i) सूट संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है जिसे 'खाज़ी सेवा इनाम' के रूप में समर्पित किया गया है। जो लोग ख़ाज़ी की सेवा करते हैं, वे वक्फ़ निधि का भुगतान करने के बाद सेवा इनाम के कब्जे में रहने और लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं; (ii) 'ए. के.' ख़ाज़ी के रूप में अपने पद के आधार पर कब्जे में रहने का हकदार था, जिसके अलावा उसका कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं था; (iii) मुक़दमे की संपत्ति को जाँच के अनुसार वक्फ़ के रूप में अधिसूचित किया गया था। ए.

राजपत्र अधिसूचना 10 जुलाई 1965 को जारी की गई थी।

एक वक्फ संपत्ति के रूप में वाद संपत्ति; (iv) कार्रवाई का कारण 10 जुलाई 1965 को उत्पन्न हुआ जब दूसरे प्रतिवादी द्वारा वाद संपत्ति पर अवैध और जबरन कब्जा वादी के संज्ञान में आया; और (v) मांगी गई राहतें थींः एक घोषणा कि संपत्ति एक वक्फ है और सूट संपत्ति के कब्जे के लिए एक डिक्री। [पैरा 44] [713-बी-जी]

9. पुलवर्थी वेंकट सुब्बा राव बनाम। वल्लूरी जगन्नाथ राव और सुंदराबाई बनाम। देवाजी शंकर देशपांडे, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि एक समझौता डिक्री अदालत का निर्णय नहीं है, इसलिए न्यायिक निर्णय के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि समझौता डिक्री प्रभावी रूप से पक्षों के बीच आचरण द्वारा अवरोध पैदा कर सकती है, और अवरोध द्वारा पक्षों को बाद में मुकदमा शुरू करने से रोका जाएगा। चूँकि यह आचरण द्वारा बहिष्कार का सिद्धांत है जो संस्था को बाधित करेगा

बाद के मुकदमे में, यह उचित है कि हम यह निर्धारित करने के लिए समझौता डिक्री का उल्लेख करते हैं कि क्या पक्षकारों के बीच मुकदमा संपत्ति के स्वामित्व पर कोई समझौता किया गया था। [2021] 11 एस. सी. आर. के अवलोकन पर।

समझौता विलेख, यह स्पष्ट है कि केवल कब्जे और पट्टे के मुद्दे पर समझौता किया गया था। जब पक्षकारों के बीच वाद संपत्ति के स्वामित्व पर कोई समझौता नहीं किया गया था, तो आचरण द्वारा किसी भी अवरोध का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी के वकील ने आदेश 23 नियम 3 ए को यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया कि जब पिछले मुकदमे को समझौता डिक्री के माध्यम से खारिज कर दिया जाता है तो बाद के मुकदमे को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। हालाँकि, यह प्रावधान वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा क्योंकि यह केवल इस आधार पर एक समझौता डिक्री को चुनौती देने से रोकता है कि यह गैरकानूनी है। इसलिए, समझौते को ध्यान में रखते हुए दूसरे मुकदमे का निपटारा उस मुकदमे को दायर करने पर रोक नहीं लगाएगा जिसमें से तत्काल कार्यवाही उत्पन्न होती है। [पैरा 46] [715-ए-बी, एफ-एच; 716-ए]

III. 1983 का तीसरा सूट/ओएस 100

10. कर्नाटक वक्फ बोर्ड द्वारा स्थापित 1983 का तीसरा मुकदमा निषेधाज्ञा सरलीकरण के लिए एक मुकदमा था। शीर्षक का सवाल ही नहीं

उठाया गया और किसी पर भी निर्णय नहीं लिया गया। वास्तव में, मुकदमा इस आशंका पर दायर किया गया था कि संपत्ति थी

'एके' के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा अलग-थलग किए जाने की संभावना है। 1983 के मुकदमे को वापस लेने से पहले, मुकदमा जिसमें से ये

स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के संदर्भ में व्यापक राहत प्राप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी।

11. उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालतें पहले मुकदमे (ओएस 92/1950-51) में मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व पर निर्णायक रूप से निर्णय लेती हैं और स्वामित्व के उसी मुद्दे पर बाद के किसी भी मुकदमे को विरोध के सिद्धांतों द्वारा वर्जित किया जाएगा। न्यायपालिका। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष गलत है। यह मानते हुए कि पहले मुकदमे के फैसले में निर्णायक रूप से निर्णय लिया गया है कि मुकदमे की संपत्ति पर अधिकार 'एके' का है, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले के पैराग्राफ 7 और 10 में टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया है। वहाँ विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मुक़दमे की संपत्ति एक ख़ाज़ी सेवा इनाम थी और मुक़दमे की संपत्ति पर 'ए. के.' का प्रथम दृष्टया अधिकार है। इस आशय का कोई निर्णय नहीं था कि जामिया मस्जिद बनाम।

श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा।

' ए. के. 'के पास सूट संपत्ति का एक पूर्ण अधिकार था। इसके अलावा, पहले मुकदमे में अदालतों का निर्णय न्यायालय के समक्ष दिया गया था।

अधिसूचना सं. 1 को ध्यान में रखते हुए वाद संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था। एम. डब्ल्यू. बी. 19 (11) दिनांक 6 जुलाई 1965। इस प्रकार रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को इस पर विचार किए बिना लागू नहीं किया जा सकता है।

परिस्थितियाँ बदल गईं। [पैरा 50] [716-जी-एच; 717-ए-सी]

12. उच्च न्यायालय ने दूसरे फैसले के आधार पर न्यायिक निर्णय के सिद्धांत को लागू करने में त्रुटि की है।

सूट। उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि समझौते के संदर्भ में घोषित किए गए दूसरे मुकदमे का उद्देश्य मुकदमे को समाप्त करना था और इस प्रकार न्यायनिर्णायक के सिद्धांत के आधार पर मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व पर किसी भी बाद के मुकदमे को रोक देगा। इस उद्देश्य के लिए, बायराम पेस्टनजी गरीवाला में इस अदालत के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया था, जहां यह माना गया था कि छह साल बाद एक सहमति डिक्री को चुनौती देने में देरी, रोक और न्यायिक कार्रवाई के कारण इसे दूषित कर दिया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि समझौता विलेख विशेष रूप से मुकदमे के अंत में पट्टेदार द्वारा मुकदमा संपत्ति के कब्जे को सौंपने के संबंध में किया गया था।

पट्टा और वाद संपत्ति के स्वामित्व पर कोई समझौता नहीं किया गया था। [पैरा 51] [717-सी-ई]

13. चर्चा को ध्यान में रखते हुए, निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है

नीचेः

(i) बाद के मुकदमे में उत्पन्न होने वाले मुद्दे या तो हो सकते हैं -

तथ्य या कानून के प्रश्न या कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न। पहले मुकदमे में निर्णय के बाद परिस्थितियों में बदलाव के लिए, यदि कोई नया तथ्य सामने आता है जिसे साबित करना होता है, तो न्यायिक याचिका के निर्धारण के लिए एक परीक्षण की आवश्यकता होगी। तथापि, एक उपयुक्त मामले में न्यायनिर्णायक की याचिका का निर्धारण इस प्रकार किया जा सकता है -

एक प्रारंभिक मुद्दा जब इसे हल करने के लिए न तो तथ्य के विवादित प्रश्न और न ही कानून या तथ्य के मिश्रित प्रश्न पर निर्णय लेना पड़ता है;

((ii) सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत दायर एक प्रतिनिधि मुकदमे में प्रशासन के लिए एक योजना पर निर्णय लेते समय अदालत यदि अधिकार का विरोध किया जाता है, तो यह तय करना होगा कि जिस संपत्ति के संबंध में प्रशासन और प्रबंधन की योजना मांगी गई है, वह ट्रस्ट की है या नहीं; [2021] 11 एस. सी. आर.

(iii) सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत एक मुकदमा एक प्रतिनिधि का है।

रेज़ जुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा उसी या काफी हद तक एक ही मुद्दे पर बाद का मुकदमा शुरू करने से वर्जित; (iv) चूंकि पहला मुकदमा (1950-51 का OS 92) जामिया मस्जिद में रुचि रखने वाले सदस्यों द्वारा दायर किया गया था और जिसमें से मुकदमा दायर किया गया था।

तत्काल कार्यवाही (1998 का ओएस 149) जामिया मस्जिद के अध्यक्ष द्वारा दायर की गई थी, उपरोक्त (iii) में सूत्रीकरण संतुष्ट है; (v) पहले मुकदमे (1950-51 का OS 92) में इस बात पर कोई निर्णय नहीं था कि क्या 'ए. के.' का मुकदमे की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार था। केवल प्रथम दृष्टया यह निर्धारित किया गया था कि पहले मुकदमे की संपत्तियों की अनुसूची की वस्तुएं 2 और 3 'एके' की थीं। आई. डी. 1 के ओएस 92 में काफी हद तक जारी मामले, जो न्यास संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन और खातों के लिए एक मुकदमा था, मुकदमे के उन मुद्दों से अलग हैं जिनमें से तत्काल कार्यवाही उत्पन्न होती है। इसलिए, 1998 के ओएस 149 को पहले मुकदमे में निर्णय को देखते हुए रेस जुडिकाटा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है;

(vi) जबकि पूर्व वाद में एक समझौता डिक्री न्यायिक आधार पर बाद के वाद पर रोक नहीं लगाएगी, बाद का वाद

आचरण द्वारा अवरोध द्वारा बाधित किया जा सकता है। हालाँकि, न तो 27 अक्टूबर 1969 की समझौता याचिका और न ही अंतिम आदेश

27 अक्टूबर 1969 के दूसरे मुकदमे में संकेत दिया गया है कि मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व पर समझौता किया गया था। समझौता पट्टा के अंत में पूर्व पट्टेदार द्वारा मुकदमा संपत्ति का कब्जा सौंपने के मुद्दे तक सीमित था; और

(vii) तीसरा मुकदमा (ओएस 100/1983) एक निषेधाज्ञा सरलीकरण के लिए एक मुकदमा था। मुक़दमा वापस लेने के बाद तीसरा मुक़दमा वापस ले लिया गया।

जो तत्काल कार्यवाही उत्पन्न होती है, वह एक ठोस घोषणा और निषेधाज्ञा की मांग के लिए दायर की गई थी। तीसरे मुकदमे में पक्षों के अधिकारों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। [पैरा 52] [717-एफ-एच; 718-ए-एच; 719-ए] जामिया मस्जिद बनाम।

श्री के. वी. रुद्रप्पा (SINCE DEAD)

मथुरा प्रसाद बाजु जयस्वाल बनाम। दोसीबाई एन. बी.

जीजीभॉय (1970) 1 एस. सी. सी. 613: [1970] 3 एस. सी. आर. 830; महंत प्रागदासजी गुरु भगवानदासजी बनाम। पटेल

प्रोवाश चंद्र दलुज बनाम। विश्वनाथ बनर्जी ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1834; बायराम पेस्टनजी गरीवाला बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 2234; सरगुजा परिवहन सेवा बनाम। S.T.A.T ग्वालियर AIR 1987 SC 88; आर वेणुगोपाल नायडू बनाम। वेंकटरायुलु नायडू चैरिटीज़ ए. आई. आर 1990 एस. सी. 444 ; सुलोचना अम्मा बनाम। नारायणन नायर (1994) 2 एससीसी 14: [1993] 2 पूरक। एससीआर 520; सैयद मोहम्मद। सैली लब्बई (मृत) एल. आर. वी. मोहम्मद. एल. आर. (1976) द्वारा हनीफा (मृत) 4 एस. सी. सी. 780 [1976] 3 एस. सी. आर. 721; अलका गुप्ता बनाम। नरेंद्र कुमार गुप्ता (2010) 10 एस. सी. सी. 141: [2010] 11 एस. सी. आर. 756; मधुखर डी. शेंडे बनाम। ताराबाई अबा शेडगे (2002) 2

अहमद खान और ओआरएस। , (1998) 7 एससीसी 484: 1998 (9) जे. टी. 227; सुशील कुमार मेहता बनाम गोविंद राम बोहरा (1990) 1 एस. सी. सी. 193: [1989] 2 पूरक। एस. सी. आर. 149; बहादुर सिंह बनाम। लुचो कोएर, आई. एल. आर. (1885) 11 कल 301; असरार अहमद बनाम। दरगाह समिति ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 1; ग्राम नौलखा की ग्राम पंचायत बनाम। उजागर सिंह (2000) 7 एससीसी 543: [2000] 3 पूरक। एस. सी. आर. 457; वनगिरी श्री सेलियम्मन अय्यनार उथिरसोमसुंदरेश्वर मंदिर बनाम। राजंगा असारी एयर 1965 मैड 355; नंद राम (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम। जगदीश प्रसाद (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से (2020) 9 एससीसी 393 2020 (4) जेटी 91; पुलवर्थी वेंकट सुब्बा राव बनाम। वल्लूरी जगन्नाथ राव ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 591: [1964] एस. सी. आर. 310-संदर्भित।

1] 11 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1993] 2 पूरक। एससीआर 520

पै

रा 8 (वी)

संदर्भित किया गया है

[1976] 3 एससीआर 721

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[2010] 11 एससीआर 756

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2002] 1 एससीआर 132

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[1989] 2 पूरक। एससीआर 149

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[1970] 3 एससीआर 830

उस पर भरोसा करें

पै

रा 23

[1952] एससीआर 513

उस पर भरोसा करें

पै

रा 32

[1964] 2 एससीआर 647

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

[2000] 1 एससीआर 1095

उस पर भरोसा करें

पै

रा 36

[2000] 3 पूरक। एससीआर 457

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

[1964] एससीआर 310

पै

रा 46

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.10

2014 से।

उच्च न्यायालय के 23.01.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2007 के आर. एस. ए. No.2189 में बैंगलोर में कर्नाटक के

सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गोपाल सिंह, अभिषेक कौशल

कोठवाल, एम. योगेश कन्ना, राजा राजेश्वरन एस., अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

बसव प्रभु पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , बालाजी श्रीनिवासन, षण्मुखा

सुश्री श्वेता षण्मुखप्पा, प्रतीक यादव, शाहरुख मोहन सुश्री आकृति प्रिया, सुश्री गरिमा जैन, सुश्री पल्लवी सेनगुप्ता, अशोक मत कुमार मिहिर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूचकांक A.

तथ्य

B. न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही

ग. उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

D. पार्टियों की प्रस्तुतियाँ जामिया मस्जिद v.

श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ई. विश्लेषण

ई. 1

रेस जुडिकाटा एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में

रेस जुडिकाटा की याचिका और पिछले तीन मुकदमे

ई. 2

E. 1.1 प्रतिनिधि वाद में अधिकार का निर्धारण ई. 2.2 प्रतिनिधि सूट और रेस जुडिकाटा

ई. 2.2 निर्णायक निर्णय और रेस जुडिकाटा

ई. 2.3। 1 मुद्दा और रेस जुडिकाटा में समानता

ई. 2.4 समझौता डिक्री और रेस जुडिकाटा

F. निष्कर्ष

1. कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने एक

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 1 की धारा 100 के तहत दायर की गई दूसरी अपील, जिसमें विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई है कि अपीलार्थी-वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत द्वारा वर्जित है। अपीलार्थी एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने के लिए एक विशेष अनुमति याचिका में इस अदालत का रुख किया। 8 दिसंबर 2014 को छुट्टी दी गई है।

A. तथ्य 2. कारण शीर्षक में जामिया मस्जिद गुब्बी के रूप में वर्णित,

अपीलार्थी ने निम्नलिखित राहतों की मांग के लिए अपने अध्यक्ष के माध्यम से मुकदमा 2 दायर किया:

((i)

एक घोषणा कि राज्य वक्फ बोर्ड में मालिक है

सूट अनुसूची संपत्ति का कब्जा, 2 एकड़ और 4 गुंटा के मापने वाले गुब्बी गांव का सर्वेक्षण संख्या 2 है

सिनेमा भवन के साथ गैर-कृषि भूमि;

((ख)

प्रतिवादियों के खिलाफ कब्जे के लिए एक डिक्री; प्रतिवादियों को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा

(iii)

वादी के अधिकार और आनंद के साथ; और

((iv)

अपने लाभ के लिए एक फरमान।

3. वादी-अपीलार्थी का मामला इस प्रकार हैः

((i)

सूट की संपत्ति 'खाज़ी सर्विस इनाम' है। अब्दुल खुद्दुस,

पाँचवें प्रतिवादी की पत्नी और छठे से नौवें प्रतिवादी के पिता मुतवल्ली थे जो प्रबंधन कर रहे थे

1 " सीपीसी "

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

वक्फ बोर्ड के लिए और उसकी ओर से संपत्ति। अब्दुल

खुदस, इस शर्त के अधीन संपत्ति के हड़पने का हकदार था कि वह एक खाज़ी या मुतवल्ली के रूप में अपनी सेवा का प्रदर्शन करेगा। अपने जीवनकाल में उन्होंने त्याग कर दिया था

वक्फ अधिनियम 1954 के अधिनियमन पर, जिसे 1955 में तत्कालीन मैसूर राज्य द्वारा अपनाया गया था, सहायक आयुक्त ने 1963 में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण किया। अब्दुल खुद्दुस ने वक्फ बोर्ड को मुक़दमा अनुसूची संपत्ति के वक्फ़ के रूप में पंजीकरण के लिए एक घोषणा दी। मुकदमे के पंजीकरण के लिए आपत्तियां आमंत्रित करने वाली सूचना वक्फ संपत्ति के रूप में अनुसूचित संपत्ति जारी की गई थी। मुकदमा अनुसूची संपत्ति के पंजीकरण पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और अंततः संपत्ति को मैसूर राजपत्र अधिसूचना संख्या 136 के क्रम संख्या में वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया। एम. डब्ल्यू. बी. 19 (11) दिनांक 6 जुलाई 1965;

वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत, यदि वक्फ संपत्ति घोषित संपत्ति पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अधिसूचना के प्रकाशन के एक साल के भीतर दावा किया जा सकता है। वक्फ अधिनियम, 1965 के तहत बनाए गए वक्फ नियमों के नियम 5 के तहत अलगाव पर प्रतिबंध है जब तक कि इसे मंजूरी नहीं दी जाती है।

वक्फ बोर्ड के दो-तिहाई बहुमत से;

एच. एस. गुरुराजराव और उनके भाइयों के नाम से एक व्यक्ति को 8 दिसंबर 1944 को मुज़राई अधिकारी द्वारा 'सिनेमा टॉकीज़' चलाने के लिए अनुसूची सूट संपत्ति पर पट्टे पर दिया गया था। वक्फ बोर्ड द्वारा अब्दुल खुद्दुस और एच. एस. गुरुराजराव के खिलाफ ओएस 748/1968 नामक मुकदमा दायर किया गया था।

अब्दुल खुद्दुस की मृत्यु के बाद, 6 से 9 प्रतिवादियों ने मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। के आरोप उनके खिलाफ मुकदमे की संपत्ति का कुप्रबंधन किया गया था। अध्यक्ष, डी. डब्ल्यू. सी. तुमकुर ने ए. मस्जिद बनाम की सिफारिश की।

श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मुकदमे की संपत्ति का प्रबंधन सीधे बोर्ड द्वारा किया जाता है

वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 43 (ए)। सिफारिश के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्ड ने एक आदेश पारित किया

दिनांक 6 अप्रैल 1983 को प्रबंधन संभालना;

एच. एस. गुरुराजराव, जिनके पास पट्टेदार के रूप में सूट अनुसूची संपत्ति थी, ने सिनेमा का कब्जा सौंप दिया। 29 जून 1983 को वक्फ बोर्ड के लिए भवन। हालाँकि, 5 से 9 प्रतिवादियों ने संपत्ति के संबंध में बिक्री विलेख निष्पादित किए।

प्रतिवादी 1 से 4 के पक्ष में। प्रतिवादी 5 से 9 द्वारा कोई भी अलगाव अमान्य है क्योंकि बोर्ड ने दो-तिहाई बहुमत के साथ लेनदेन को मंजूरी नहीं दी थी; और

कार्रवाई का कारण 16 अप्रैल 1983 को सामने आया जब

प्रतिवादी 1 से 4 ने अन्य प्रतिवादियों के साथ मिलकर वादी के कब्जे में हस्तक्षेप किया

प्रतिवादी 5 से 9 द्वारा निष्पादित उनके पक्ष में बिक्री।

मई 2010 में, 2 से 4 प्रतिवादियों ने अपना लिखित बयान दायर किया कि

मुकदमा रेस जुडिकाटा द्वारा वर्जित हैः ओएस 92/1950-51 3 मस्जिद के सदस्यों द्वारा दायर किया गया था जिसे जमात के नाम से जाना जाता है।

मस्जिद जिसमें अब्दुल खुद्दुस (के पूर्ववर्ती) प्रतिवादी 5-9) एक पक्ष था। उक्त मुकदमे में, जिला न्यायाधीश ने 31 मार्च 1954 के एक निर्णय द्वारा घोषित किया कि

मुक़दमा अनुसूची संपत्ति अब्दुल खुद्दुस की व्यक्तिगत संपत्ति होगी। अब्दुल खुद्दुस ने जिला न्यायाधीश के आदेश के एक हिस्से को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त 1959 को जिला न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा। चूँकि पहले मुकदमे और वर्तमान मुकदमे के पक्षकार और विषय वस्तु समान हैं, इसलिए अपीलार्थी द्वारा स्थापित मुकदमे को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वर्जित किया जाता है।

सूट अनुसूची संपत्ति एक खाज़ी सेवा इनाम नहीं है, बल्कि अब्दुल खुद्दुस और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति थी।

उत्तराधिकारियों ने इसे सही मायने में प्रतिवादियों के पक्ष में बेच दिया है

1-4 ;

सूट अनुसूची संपत्ति एक एच. एस. गुरुराजा राउबी अब्दुल खुद्दुस को पट्टे पर दी गई थी, न कि तत्कालीन मुज़राई अधिकारी [2021] 11 एस. सी. आर. द्वारा।

जैसा कि वादी द्वारा प्रतिवाद किया गया है। 1995 से, श्री के. वी. रुद्रप्पा के पक्ष में एक पट्टा दिया गया था जो 'चन्नबसवेश्वर टॉकीज़' के नाम से एक थिएटर चला रहे थे। रुद्रप्पा की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी 1-4 मामले को चला रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद थिएटर;

(iv) ओएस 748/1968 की स्थापना मैसूर वक्फ बोर्ड द्वारा की गई थी।

अब्दुल खुद्दुस के खिलाफ यह घोषणा करने की मांग की गई कि मुक़दमे की संपत्ति एक वक्फ़ है और मुक़दमे की संपत्ति के कब्जे के लिए है। हालांकि, पक्षकारों द्वारा दायर समझौता याचिका के संदर्भ में मुकदमे का फैसला सुनाया गया था और इसलिए, वक्फ बोर्ड ने मुकदमा अनुसूची संपत्ति के संबंध में अपना दावा छोड़ दिया। बाद का मुकदमा रेस जुडिकाटा के सिद्धांत से प्रभावित होता है; और

(v)

ओएस 100/19835 की स्थापना कर्नाटक बोर्ड द्वारा की गई थी। वक्फ ने प्रतिवादियों (अब्दुल खुद्दुस के उत्तराधिकारियों) को मुकदमे की संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की। यह मुकदमा वादी द्वारा वापस ले लिया गया था।

B. न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही

5. निचली अदालत ने दो मुद्दों-मुद्दे 5 और 6-पर विचार किया।

प्रारंभिक मुद्दों के रूप में डिकाटा और सीमा। इसके दिनांकित निर्णय के अनुसार

जनवरी 2006 में, निचली अदालत ने फैसला सुनाया कि मुकदमे को प्रतिबंधित नहीं किया गया था

यह। हालाँकि, अदालत ने माना कि मुकदमा अदालत द्वारा वर्जित था

पहले स्थापित मुकदमों में लिए गए निर्णयों के कारणः

((i)

ओ. एस. 92/1950-51 जनता के सदस्यों द्वारा दायर किया गया था

गुब्बी धारा 92 सी. पी. सी. के आधार पर अपनी प्रतिनिधि क्षमता में। अब्दुल खुद्दुस ने तर्क दिया कि मुक़दमा अनुसूची संपत्ति उनकी व्यक्तिगत संपत्ति थी। मुकदमे में बनाया गया पहला मुद्दा यह था कि क्या अनुसूचित संपत्तियां संबंधित हैं

जामिया मस्जिद, गुब्बी, जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि दो वाद अनुसूची संपत्तियाँ (एस. आई. सं. 2 और 3, जिनमें से धारा संख्या 2 तत्काल कार्यवाही में वाद अनुसूची संपत्ति है) जामिया मस्जिद से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने दूसरे पर

एकॉन्ड सूट "

तीसरा मुकदमा "ए मस्जिद बनाम।

श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपील 'ने अभिनिर्धारित किया कि धारा संख्या 2,3 और 4 में संपत्तियां नहीं हैं

मस्जिद से संबंधित है। इस प्रकार, कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए वाद अनुसूची संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में मुद्दा अंतिम रूप से पहुंच गया है, जिस पर इस अदालत के समक्ष हमला नहीं किया गया था। एक प्रतिनिधि मुकदमे में एक निर्णय सभी पर बाध्यकारी है

सी. पी. सी. की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV को ध्यान में रखते हुए इच्छुक पक्ष। हालांकि पहला मुकदमा जामिया मस्जिद द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दायर नहीं किया गया था, लेकिन इसमें रुचि रखने वाले पक्षों द्वारा दायर किया गया था।

मस्जिद का प्रशासन और इस प्रकार सभी पक्षकार

मस्जिद में रुचि रखने वाले निर्णय से बाध्य हैं, भले ही

उन्हें एक पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया था;

मुकदमे की घोषणा करने वाली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा निचली अदालत के फैसले को रद्द नहीं किया जा सकता है।

एक वक्फ संपत्ति के रूप में संपत्ति;

ओ. एस. 748/1968 वादी द्वारा दायर एक घोषणा की मांग करते हुए कि वक्फ मुकदमे की संपत्ति का मालिक है, एक समझौते में समाप्त हुआ जिसके द्वारा वक्फ बोर्ड ने स्वीकार किया है कि

अब्दुल खुद्दुस को किराया वसूलने का अधिकार है। पट्टेदार। इस प्रकार, वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार छोड़ दिया है।

मुक़दमा संपत्ति; और

ओ. एस. नं. 100/1983 के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करते हुए दायर किया गया था

अब्दुल खुद्दुस। हालाँकि, 22 नवंबर 1984 को वापस लेने का ज्ञापन दायर करने के बाद मुकदमा खारिज कर दिया गया था। वादी के वकील। इस प्रकार वक्फ बोर्ड ने त्याग दिया है।

मुक़दमे की संपत्ति पर अधिकार।

निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी

2 जुलाई 2007 को तुमकुर में न्यायिक जिला न्यायाधीश

असन्सः

सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत दायर एक प्रतिनिधि मुकदमा बाध्य नहीं करता है केवल मुक़दमे में नामित पक्षकार बल्कि वे भी जो मुक़दमे में रुचि रखते हैं। इसलिए, पिछले में एक निर्णय

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिनिधि मुकदमा सभी इच्छुक पक्षों को बाध्य करेगा, भले ही

उन्हें मुक़दमे में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था;

(111) यह दलील कि निचली अदालत ने केवल प्रथम दृष्टया अब्दुल खुद्दुस को मुकदमे की संपत्ति का मालिक पाया था

और इसलिए, यह निर्णायक रूप से नहीं माना गया कि उनका पूर्ण खिताब था, गलत है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी न्यास के रखरखाव के लिए कोई योजना बनाई जानी चाहिए, न्यायालय को खुद को संतुष्ट करना होगा कि क्या संपत्ति का स्वामित्व न्यास के पास है या नहीं। विश्वास रखें;

(iv) वादी ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि अब्दुल खुद्दुस ने कब ऐसा किया था।

मुक़दमे की संपत्ति को वक्फ़ संपत्ति के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा। यदि अधिसूचना 1963 में की गई थी, तो वक्फ बोर्ड के लिए मुकदमा दायर करने का कोई कारण नहीं था।

1983 ;

(v)

अब्दुल के खिलाफ वक्फ बोर्ड द्वारा दायर O. S. 748/1968 खुदस एक घोषणा के लिए कि मुकदमा संपत्ति की है

वक्फ बोर्ड एक समझौते में समाप्त हुआ। वक्फ बोर्ड ने मुकदमे की संपत्ति पर अपने अधिकार को माफ कर दिया है और इस तरह का समझौता एक अवरोध पैदा करता है।

प्रोवाश चंद्र दलुज बनाम। विश्वनाथ बनर्जी 1;

बायराम पेस्टनजी गरीवाला बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3) और

(vi) ओ. एस. नं. 100/1983 प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा दायर किया गया था। मुकदमा खारिज कर दिया गया।

तत्काल आवेदन करने के लिए अनुमति मांगे बिना ज्ञापन दाखिल करके

सूट। सरगुजा परिवहन सेवा बनाम में निर्णय।

S.T.A.T ग्वालियर 'पर भरोसा किया गया था।

7. उच्च न्यायालय ने अपने 2 जुलाई 2008 के फैसले और आदेश द्वारा

एक नियमित दूसरी अपील दायर की और मामले को कानून के अनुसार निपटारे के लिए मुकदमे में भेज दिया। उच्च न्यायालय ने कहा किः

ओएस 92/के बाद से वर्तमान मुकदमा रेस जुडिकाटा द्वारा वर्जित नहीं है।

((i)

1950-51 सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत एक योजना को निपटाने के लिए स्थापित किया गया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के पैरा 10 में कहा गया है कि प्रतिवादी को मुकदमे की संपत्ति पर प्रथम दृष्टया अधिकार है और यदि अनुदान की शर्तों को प्रतिवादी द्वारा संतुष्ट नहीं किया गया है, तो ट्रस्टी कदम उठा सकते हैं।

1991 एससी 2234

1987 एससी 88 द जामिया मस्जिद बनाम। श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इसलिए, शीर्षक का प्रश्न निर्णायक रूप से तय नहीं किया गया था। ओएस नंबर 92/1950 51 में जो मुद्दा काफी हद तक मुद्दा था, वह तत्काल कार्यवाही में मुद्दा नहीं है। फैसला

उच्च न्यायालय की अपील को भी इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि वाद अनुसूची संपत्ति पूरी तरह से अब्दुल की है।

खुद्दुस;
सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत एक मुकदमा एक प्रतिनिधि मुकदमे के रूप में दायर किया जाता है।

((ख)

और एक के निजी अधिकार को सही साबित करने के लिए दायर किया गया मुकदमा नहीं है

व्यक्तिगत;

(€ iii) ओएस 748/1968 में समझौते के आदेश में प्रतिवादी 1 से 4 के हित में पूर्ववर्ती अब्दुल खुद्दुस के स्वामित्व की घोषणा नहीं की गई थी। इसमें केवल यह कहा गया है कि दूसरा प्रतिवादी अब्दुल खुद्दुस के पट्टेदार के रूप में जारी रहेगा;

((iv) वर्तमान मुकदमा राज्य वक्फ की ओर से दायर किया गया था।

ओएस 100/1983 के निपटान से पहले बोर्ड और इसलिए था

प्रतिबंधित नहीं है; और

तत्काल कार्यवाही में मांगी गई राहत की प्रकृति है -

(v)

ओएस 92/1950-51 में मांगी गई राहत से अलग। ओ. एस. नं. 92/1950-51 और ओ. एस. में जामिया मस्जिद वादी नहीं थी। नं. 748/1968।

ग. उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

8. प्रतिवादी 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। 30 अगस्त 2010 के एक निर्णय द्वारा, यह न्यायालय

कार्यवाही को इस आधार पर उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया गया कि उच्च न्यायालय ने केवल एक प्रतिवादी-कैविएटर्स को सुना था और सभी प्रतिवादियों का उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। रिमांड के बाद, उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी 2012 के अपने फैसले में निम्नलिखित कारणों से अपील को खारिज कर दिया:

मुक़दमा अनुसूची संपत्ति का स्वामित्व किया गया है

((i)

ओएस 92/1050-51 में अब्दुल के पक्ष में निर्णायक निर्णय लिया गया खुद्दुस;

सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत एक प्रतिनिधि मुकदमे में निर्णय

((ख)

मुकदमे के पक्षकारों और न्यास में रुचि रखने वालों को बाध्य करता है (आर. वेणुगोपाल नायडू बनाम। वेंकटरायुलु नायडू

दान 1 1);

10 2008 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 26047 11 आकाशवाणी 1990 एससी 444

(iii)

जब किसी योजना के निर्धारण के लिए मुकदमा दायर किया जाता है

न्यास के प्रशासन में, न्यायालय को मुख्य रूप से संतुष्ट होना चाहिए कि संपत्ति न्यास की है। अदालत के पास सी. पी. सी. की धारा 92 (ई) और (सी. सी.) के तहत आदेश देने की शक्ति है।

किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के कब्जे का वितरण जो कब्जे का हकदार है;

(iv) यदि कोई घोषणा खाज़ी अब्दुल खुद्दुस द्वारा की गई थी

1965 में मुक़दमे की संपत्ति को वक्फ़ संपत्ति घोषित करते हुए, इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वादी ओएस 100/1983 दाखिल करने तक चुप क्यों था; और एक ऐसा मुद्दा जिसे काफी हद तक एक सक्षम व्यक्ति द्वारा तय किया गया था

(v)

सीमित अधिकारिता वाली अदालत न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार काम करेगी, हालांकि ऐसी अदालत अपने सीमित अधिकार क्षेत्र को देखते हुए बाद के मुकदमे (सुलोचना) की सुनवाई करने में सक्षम नहीं होगी। अम्मा वी। नारायणन नायर 1 2)।

9. ओएस 748/में एक सहमति डिक्री के माध्यम से प्राप्त निर्णय

मुकदमेबाजी को समाप्त करने का इरादा था। यह इस तरह काम करेगा

बाद के मुकदमों में न्यायिक स्थिति।

10. इस न्यायालय द्वारा 8 दिसंबर 2014 को अनुमति दी गई थी।

D. दलों की प्रस्तुतियाँ

11. हमने वरिष्ठ वकील सुश्री वी. मोहना को सुना है।

अपीलार्थी की ओर से श्री बसव प्रभु पाटिल, विद्वान या श्री बालाजी श्रीनिवासन के वकील, के लिए विद्वान वकील

स्टिंग उत्तरदाताओं।

12. अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ हैं -

आग्रह कियाः

((i)

ओएस 92/1950-51

मुकदमा इलाके के मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था।

0

मस्जिद के उचित प्रबंधन में रुचि थी क्योंकि अब्दुल खुद्दुस अपनी उपाधि स्थापित करने की कोशिश कर रहा था

सूट संपत्ति;

मुकदमा मुकदमे के अधिकार की घोषणा के लिए नहीं था

0

संपत्ति और अपीलार्थी मुकदमे में पक्षकार नहीं थे। यह एक मुकदमा था जिसके लिए एक योजना स्थापित करने की मांग की गई थी

मुकदमे की संपत्ति का प्रशासन;

4) 2 एससीसी 14 ए. एस. जे. आई. डी. बनाम।

श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। या। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई थी कि मुकदमा संपत्ति अब्दुल खुद्दुस की एक निजी संपत्ति है; और

सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत एक योजना को निपटाने के लिए एक मुकदमे में, न्यायालय के पास सीमित अधिकार क्षेत्र था और

घोषणात्मक राहत जारी नहीं की है।

एस 748/1968

मुकदमे में एक समझौता ज्ञापन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि दूसरा प्रतिवादी कुछ समय के लिए किरायेदार के रूप में बना रहेगा और उसके बाद उसे सौंप दिया जाएगा।

अब्दुल खुद्दुस को शांतिपूर्ण अधिकार;

27 अक्टूबर 1969 को एक समझौता याचिका दायर की गई थी।

उनके पक्ष में अधिकार; और मुकदमा इस आधार पर आगे बढ़ा कि अब्दुल खुद्दुस केवल उपयोग और डिक्री के हकदार थे।

समझौता विलेख के बिना संरक्षित अधिकार पर

शीर्षक का कोई भी निर्णय।

एस 100/1983

कर्नाटक वक्फ बोर्ड द्वारा एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें एक बिक्री की आशंका थी। प्रतिवादियों को अब्दुल खुद्दुस के उत्तराधिकारियों का उदाहरण

1-4 ;

अपीलार्थी मुक़दमे में पक्षकार नहीं था;

वादी द्वारा बर्खास्तगी के लिए ज्ञापन दायर करने के बाद मुकदमा बिना किसी लागत के खारिज कर दिया गया था; और

वाद खारिज होने से पहले, वर्तमान वाद जो

घोषणा की मांग करने वाला एक व्यापक मुकदमा है और

स्वामित्व स्थापित किया गया था।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह आग्रह किया गया कि रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के उपयोग के लिए सामग्री पूरी नहीं हुई है। में।

राष्ट्र, यह आग्रह किया गया था किः

मुक़दमा अनुसूची संपत्ति के स्वामित्व का मुद्दा जारी नहीं किया गया है

((i)

तीन पूर्व मुकदमों में से किसी में भी निर्णय लिया गया;

((ख)

अधिसूचना को देखते हुए सं. एम. डब्ल्यू. बी. 19 (11) दिनांक 6 जुलाई 1965

मुक़दमे की संपत्ति को वक्फ़ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था;

एक संपार्श्विक निष्कर्ष एक निर्णय को प्रदर्शित नहीं करता है

(iii)

शीर्षक का;

€ ((iv) पूर्व निर्णय के अभाव में, निर्णय का सिद्धांत

जुडिकाटा आकर्षित नहीं होगा;

मुक़दमा अनुसूची संपत्ति की अधिसूचना एक वक्फ़वा के रूप में

(v)

द्वारा निष्पादित 28 अप्रैल 1963 की एक घोषणा के अनुसार

समुदाय के सामान्य लाभ के लिए अब्दुल खुद्दुस;

(vi) एक बार जब संपत्ति को वक्फ के रूप में गठित किया जाता है, तो यह उसी रूप में बनी रहेगी और अधिसूचना पर कोई आपत्ति अब्दुल खुद्दुस या किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर नहीं की गई थी।

उसके माध्यम से; और

(vii) उपरोक्त प्रस्तुतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायिक निर्णय का मुद्दा कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न उठाता है और किसी भी स्थिति में, एक व्यापक निर्णय के रूप में तय किया जाना चाहिए था।

एक पूर्ण-स्तरीय मुकदमे के अनुसार मुद्दा।

13. उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए वरिष्ठ वकील श्री बसव प्रभु पाटिल ने कहा किः

पहले सूट में-92/1950-51-एक विशिष्ट निष्कर्ष था

((i)

कि मुक़दमा अनुसूची संपत्ति अब्दुल खुद्दुस की व्यक्तिगत संपत्ति थी। इस प्रकार, न्यायालय ने निर्णायक रूप से

मुक़दमे की संपत्ति के स्वामित्व पर निर्णय लिया गया, उसी मुद्दे को उठाने वाला एक बाद का मुक़दमा रेस के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है।

न्यायपालिका;

((ख)

बोर्ड, घोषणा और कब्जे के लिए एक प्रार्थना थी। दूसरे मुकदमे (कब्जे से संबंधित) में दावा किए गए राहत के एक हिस्से पर समझौता किया गया है। यह अनिवार्य रूप से जामिया मस्जिद v का परित्याग होगा।

श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अन्य राहत। एक बार जब कोई समझौता हो जाता है, तो आदेश 23 नियम 3 ए बाद के मुकदमे की रखरखाव पर रोक लगाता है।
तीसरा मुकदमा उनके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए था।

(iii)

मुक़दमे की संपत्ति का अलगाव। इस मुकदमे को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था; और

(iv) जामिया मस्जिद अपनी ओर से शीर्षक की घोषणा की मांग कर रही है।

वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड मुकदमे में पक्षकार नहीं है और उसके शामिल किए जाने के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

ई. विश्लेषण

14. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब विश्लेषण के लिए आती हैं। 15. प्राथमिक मुद्दा यह है कि क्या सूट-ओएस नंबर 149/199813 -

एच को जामिया मस्जिद द्वारा स्थापित किया गया था जो रेस अता के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है। यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या रेस जुडिकेटाइस का सिद्धांत है

टेड, यह आवश्यक है कि हम के संबंध में याचिका पर निर्णय लें

पूर्व सूटः

ओएस 92/1950-51;

((i)

((ख)

ओएस 748/1968 और;

(€ iii) ओएस 100/1983।

16. विशेष रूप से तीन सूट का विश्लेषण करने से पहले, यह आवश्यक है

हम न्यायपालिका पर न्यायशास्त्र का दौरा करते हैं। धारा 11 सी. पी. सी. निम्नता बताती हैः

" 11. रेस जुडिकाटाः कोई भी न्यायालय किसी भी वाद या मुद्दे की सुनवाई नहीं करेगा जिसमें

मुद्दा प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दा रहा है और

समान पक्षों के बीच पूर्व मुकदमे में काफी हद तक मुद्दा, या

उन पक्षों के बीच जिनके तहत वे या उनमें से कोई दावा करता है, मुकदमा करना एक ही शीर्षक के तहत, ऐसे न्यायालय में जो इस तरह के बाद के मुकदमे के लिए सक्षम हो

वाद या वाद जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया है, और ऐसी अदालत द्वारा सुना गया है और अंत में निर्णय लिया गया है।

ऐसे पूर्व वाद में बचाव या हमले का आधार बनाया गया है प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक एक मामला माना जाता है

इस तरह के सूट में मुद्दा।

मुकदमा जिसमें से वर्तमान अपील में मुद्दा उत्पन्न होता है वह मुकदमा 96/1984 पुनः क्रमांकित/1989 और 149/1998 है। सुविधा के लिए हम सूट को ओएस 149/1998 के रूप में संदर्भित करेंगे।

स्पष्टीकरण 5-वाद में दावा की गई कोई भी राहत, जो नहीं है

डिक्री द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अस्वीकार किया गया माना जाएगा। स्पष्टीकरण VI.

धारा, इस प्रकार मुकदमेबाजी करने वाले व्यक्तियों के अधीन दावा मानी जाएगी। [...]

स्पष्टीकरण VIII। - सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुना गया और अंत में निर्णय लिया गया कोई मुद्दा, जो इस तरह के मुद्दे को तय करने के लिए सक्षम है, बाद के मुकदमे में न्यायिक आधार के रूप में काम करेगा, इसके बावजूद कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय इस तरह का मुकदमा चलाने के लिए सक्षम नहीं था।

बाद का वाद या वह वाद जिसमें ऐसा मुद्दा दायर किया गया है। बाद में उठाया गया।] "

17. रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों को आकर्षित करने के लिए, निम्नलिखित आहारों को पूरा किया जाना चाहिएः

मामला प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दा रहा होगा।

((i)

पूर्व सूट में;

((ख)

इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए और अंत में अदालत द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। पूर्व सूट में;

पूर्व मुकदमा समान पक्षों के बीच होना चाहिए या

(iii)

उन पक्षों के बीच जिनके तहत वे या उनमें से कोई भी दावा करता है, एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा कर रहा है; और

((iv)

जिस न्यायालय में पूर्व मुकदमा दायर किया गया था, वह है बाद के वाद या उस वाद का विचारण करने के लिए सक्षम जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया है।

18. सैयद मोहम्मद में। L.Rsv द्वारा सैली लब्बई (मृत)। मोहम्मद.

न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति एस. मुर्तजा अली ने कहा कि न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष न्यायिक याचिका दायर की जा सकती है।

टी, निम्नलिखित शर्तों को साबित किया जाना चाहिएः

" 7 .....

" (1) कि वादकारी पक्ष समान होने चाहिए; (2) कि वाद का विषय भी समान होना चाहिए;

6) 4 एस. सी. सी. 780 द जामिया मस्जिद बनाम। श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(3) कि मामला अंत में पक्षों के बीच तय किया जाना चाहिए; और

(4) कि वाद का निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए

अधिकार क्षेत्र "।

न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका के प्रश्न का निर्णय करने का "सबसे अच्छा तरीका" पक्षकारों के मामले का निर्धारण करना है जैसा कि उन्हें रखा गया है।

अपने पिछले मुकदमों की अपनी-अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हैं, और फिर यह पता लगाने के लिए कि उन निर्णयों द्वारा क्या निर्णय लिया गया था जो न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य करते हैं। उस मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पिछले मुकदमे में निर्णय दो बिंदुओं तक सीमित थाः

वादी ने प्रदर्शन के लिए कुछ अधिकारों का दावा किया

((i)

संपत्तियों में समारोह और उपासकों से मस्जिद को होने वाली आय में एक हिस्सा; और

((ख)

एक दावा, जहाँ तक कब्रिस्तान का संबंध था

दफनाने के लिए पिट शुल्क प्राप्त करना। नतीजतन, यह अभिनिर्धारित किया गया कि निचली अदालत ने जनता में से किसी पर भी निर्णय नहीं लिया था

मस्जिद का चरित्र या विधि और तरीका या उद्देश्य के लिए स्थल के समर्पण का प्रभाव

मस्जिद या कब्रिस्तान।

ई. 1 रेस जुडिकाटा एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में

एक पूर्ण-स्तरीय मुकदमे के अनुसार प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य के लिए, अलका गुप्ता बनाम मामले में इस अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया था। न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन द्वारा लिखित नरेंद्र कुमार गुप्ता 1 5 ("अलका गुप्ता")। अलका गुप्ता के मामले में, निचली अदालत ने बाद के मुकदमे को विभिन्न प्रारंभिक आधारों पर खारिज कर दिया था, जिनमें से एक यह था कि बाद में मुकदमा दायर करने पर अदालत ने रोक लगा दी थी। हालांकि, अपील करते हुए, इस अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि दूसरा मुकदमा न्यायपालिका द्वारा वर्जित नहीं थाः

1 5 (2010) 10 एस. सी. सी. 141 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 19. विद्वत ट्रायल बेंच ने 13-3-2009 पर आदेश पारित किया

न्यायिक विवरण से संबंधित प्रारंभिक मुद्दा (अंक 1)। लेकिन वहाँ

विद्वान एकल के क्रम में बिल्कुल कोई चर्चा नहीं है

निम्नलिखित को छोड़कर रेस जुडिकाटा के बार के संबंध में न्यायाधीश

आदेश के अंत में अवलोकनः " बेशक यह नहीं कहा जा सकता है

कि वर्तमान वाद न्यायाधीश द्वारा वर्जित है क्योंकि कहा गया है

उस मामले में दावों का फैसला नहीं किया गया था। लेकिन सिद्धांत रचनात्मक न्याय व्यवस्था लागू होती है "। इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

अपीलीय पीठ द्वारा। दोनों इस आधार पर आगे बढ़े कि मुकदमा

रेस जुडिकाटा द्वारा वर्जित नहीं था, लेकिन सिद्धांत द्वारा वर्जित था

बिना कोई कारण बताए रचनात्मक न्याय।

20. बचाव न्यायिक याचिका एक वादी के अधिकार पर एक प्रतिबंध है

उसके दावे पर निर्णय लें। याचिका स्पष्ट होनी चाहिए

स्थापित, विशेष रूप से जहां बार की मांग की गई है

रचनात्मक रेस जुडिकाटा का आधार। वादी जो है

रचनात्मक रेस के बार द्वारा रोकने की मांग की गई

न्यायपालिका के पास याचिका के बारे में नोटिस होना चाहिए और एक उसी के खिलाफ अपनी दलीलें रखने का अवसर।

इस मामले में, न तो रचनात्मक न्यायपालिका की कोई याचिका थी, और न ही

अपीलार्थी-वादी के पास मामले के आधार पर मिलने का अवसर था

इस तरह की याचिका पर।

[...]

दूसरा मुकदमा, रचनात्मक रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को आकर्षित करने के लिए। दूसरा मुकदमा रचनात्मक न्यायपालिका द्वारा वर्जित नहीं है।

(जोर दिया गया)

20. सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर विचारण न्यायाधीश का निष्कर्ष

न्यायिक विवरण को इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया कि याचिका स्पष्ट रूप से नहीं थी

अभियुक्त और वादी को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया गया था

इस प्रकार, अलका गुप्ता (ऊपर) में, इस अदालत ने निर्णय को दरकिनार कर दिया

ऊपरी जमीन पर उच्च न्यायालय।

21. आदेश 14 नियम 2 सी. पी. सी. में कहा गया है कि यदि तथ्य और कानून के सवाल

उसी वाद में, न्यायालय इस प्रश्न पर मामले का निपटारा कर सकता है कि

यदि यह निम्नलिखित से संबंधित हैः

द जामिया मस्जिद बनाम। श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" ((क) न्यायालय की अधिकारिता, या

(ख) उस समय के लिए किसी भी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे के लिए एक बार

बल, और उस उद्देश्य के लिए [.] "

(जोर दिया गया)

22. इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपराधों का निर्धारण

न्यायपालिका आकर्षित होने से कानून और तथ्यों पर मिश्रित सवाल उठते हैं। मधुर डी. शेंडे 1 6 और राम हरख 1 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि याचिका

न्यायपालिका कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न था। दोनों में

अदालत। न्यायमूर्ति के. रामास्वामी ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखा सुशील कुमार मेहता बनाम। गोबिंद राम बोहरा 1 8 ने माना कि

रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को 'मिश्रित' के कबूतर के छेद में फिट नहीं किया जा सकता है

यह कानून या तथ्य का सवाल होगा या दोनों का मिश्रित सवाल होगा। जिस मुद्दे पर पहले निर्णय लेने का दावा किया गया है। अदालत ने

न्यायपालिका की याचिका की प्रयोज्यता का निर्धारण करते समय

यह निर्धारित करें कि क्या तथ्यों और कानून में कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है लागू होता हैः

" 26. सी. पी. सी. की धारा 11 के तहत रेस जुडिकाटा का सिद्धांत स्थापित किया गया है।

सार्वजनिक नीति पर। तथ्य या कानून का मुद्दा या तथ्य का मिश्रित प्रश्न और कानून, जो पहले के मुकदमे में जारी हैं या शक्ति और चाहिए

उसी पक्ष या व्यक्तियों के बीच उठाया जाए जो इसके तहत दावा करते हैं

उन्हें और निर्णय दिया गया या निर्विरोध अनुमति दी गई अंतिम हो जाता है

इस मुद्दे पर एक सक्षम अदालत का निर्णय काम कर सकता है। बाद के वाद या कार्यवाहियों में या अन्य मामलों में

उन्हें। लेकिन एक क़ानून की व्याख्या से संबंधित प्रश्न तथ्य के प्रश्नों से असंबंधित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पर्श करना

या कानून या मिश्रित प्रश्न न्यायपालिका के रूप में भी काम नहीं करते हैं

किसी अधिकार का आधार या आधार, में मामला नहीं माना जा सकता है मुद्दा। रेस जुडिकाटा का सिद्धांत प्रक्रिया का एक पहलू है लेकिन नहीं।

16 मधुर डी. शेंडे बनाम। ताराबाई अबा शेडगे, (2002) 2 एस. सी. सी. 85

1 7 राम हरख बनाम। हामिद अहमद खान और अन्य। , (1998) 7 एससीसी 484

18 (1990) 1 एस. सी. सी 193 [2021] 11 एस. सी. आर.

मूल कानून। तथ्य पर आधारित कानून के मुद्दे पर निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के रूप में काम करेगा। लेकिन जब कानून के बाद से पहले के निर्णय को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदल दिया गया है या जब पहले का निर्णय कानून द्वारा निषेध के बावजूद किसी लेनदेन को वैध घोषित करता है तो यह न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम नहीं करता है। इस प्रकार किसी न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न या किसी प्रक्रिया का प्रश्न या पिछले वाद में तथ्य के प्रश्न पर विशुद्ध रूप से स्थापित पक्षों के अधिकार से असंबंधित कानून का प्रश्न, बाद के वाद में न्यायिक नहीं है। किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र या किसी क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित प्रश्न को ऐसा नहीं माना जा सकता है अंततः एक अदालत के गलत फैसले द्वारा निर्धारित किया गया। इसलिए, रेस जुडिकाटा का सिद्धांत शून्यता की डिक्री के मामले में लागू नहीं होता है। यदि न्यायालय में स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र की कमी है तो सहमति से अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया जा सकता है। जहाँ कल्याणकारी कानून में कुछ वैधानिक अधिकार बनाए जाते हैं, वहाँ छूट का सिद्धांत डिक्री के मामले में भी लागू नहीं होता है जहाँ अदालत में स्वाभाविक रूप से कमी होती है।

अधिकार क्षेत्र "।

23. मथुरा में प्रसाद बाजु जयस्वाल बनाम। दोसीबाई एन. बी.

जीजीभॉय 1 9, सिविल न्यायालय में वादी का आवेदन

बॉम्बे रेंट, होटल और लॉजिंग हाउस रेट कंट्रोल एक्ट 1947 की धारा 11 के तहत मानक किराए के निर्धारण के लिए न्यायाधीश को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि क़ानून खुले किराए के मामले में लागू नहीं होता है।

भवनों के निर्माण के लिए पट्टे पर दी गई भूमि। अपील में इस निर्णय की पुष्टि की गई थी। हालाँकि, बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय को देखते हुए, जिसमें कहा गया था कि क़ानून पट्टे पर दी गई भूमि पर लागू होगा, वादी ने लघु कारणों के न्यायालय में एक नई कार्यवाही दायर की। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बाद के मुकदमे को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वर्जित किया गया था। हालाँकि, न्यायमूर्ति जे. सी. शाह ने 3-न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए कहा कि बाद के मुकदमे को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया थाः

" 5. लेकिन रेस जुडिकाटा का सिद्धांत प्रक्रिया के क्षेत्र से संबंधित हैः इसे पक्षों के बीच विधायी निर्देश की स्थिति के लिए ऊँचा नहीं किया जा सकता है ताकि अंततः उनके बीच न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित करने वाले अधिनियम की व्याख्या से संबंधित प्रश्न का निर्धारण किया जा सके, भले ही तथ्य का कोई प्रश्न या कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न और पक्षों के बीच विवाद में अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न निर्धारित नहीं किया गया हो। किसी मुद्दे पर किसी सक्षम न्यायालय का निर्णय किसी अन्य कार्यवाही में न्यायिक हो सकता है।

19 (1970) 1 एस. सी. सी. 613 जामिया मस्जिद बनाम।

श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एक ही पक्ष के बीचः "मुद्दा" एक हो सकता है

तथ्य का मुद्दा, कानून का मुद्दा, या मिश्रित कानून और तथ्य का मुद्दा।

तथ्य का मुद्दा या मिश्रित कानून और तथ्य का मुद्दा तय किया गया

एक सक्षम न्यायालय द्वारा अंततः के बीच निर्धारित किया जाता है

पार्टियाँ और उनके बीच दूसरे में फिर से नहीं खोला जा सकता है आगे बढ़ रहे हैं। केवल किसी मुद्दे पर पिछला निर्णय है

न्याय के बारे मेंः निर्णय के कारण न्यायिक नहीं हैं।

[.....]

11. मुद्दा, यदि यह विशुद्ध रूप से एक तथ्य है, में तय किया गया है

एक सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व कार्यवाही में होना चाहिए समान पक्षों के बीच बाद के मुकदमे पर विचार किया जाना चाहिए

जैसा कि अंत में तय किया गया और फिर से नहीं खोला जा सकता है। एक मिश्रित सवाल

एक ही कारण से एक ही पक्ष से पूछताछ नहीं की जा सकती है। समान पक्षों के बीच एक बाद की कार्यवाही में। लेकिन,

जहाँ निर्णय कानून के प्रश्न पर है अर्थात की व्याख्या

एक कानून, यह के बीच एक बाद की कार्यवाही में न्यायिक होगा

वही पक्ष जहाँ कार्रवाई का कारण समान है,

प्रक्रिया का अर्थ है पक्षों के बीच मुकदमा दायर करने का अधिकार अर्थात तथ्य जिन पर अधिकार का दावा किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है और कानून लागू होता है

उस मुद्दे के निर्धारण के लिए। लेकिन सवाल कहाँ है?

यह विशुद्ध रूप से कानून का है और यह न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है या न्यायालय द्वारा किसी ऐसी चीज़ को मंजूरी देने का निर्णय जो अवैध है,

उस आदेश की वैधता को चुनौती देने से नहीं रोका जाएगा। रेस जुडिकाटा के नियम के तहत, प्रक्रिया के नियम के लिए नहीं कर सकते हैं

देश के कानून को हटा दें।

(जोर दिया गया)

न्यायालय की प्रयोज्यता का विश्लेषण करते हुए

न्यायपालिका की धारा 11 की आवश्यकताएँ पहले निर्धारित करती हैं।

पूरा किया जाता है; और यदि इसका उत्तर सकारात्मक में दिया जाता है, तो यह होगा

यह निर्धारित किया जाता है कि क्या कानून या तथ्यों में कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है

पहला मुकदमा घोषित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप रेस का सिद्धांत

ए. टी. ए लागू नहीं होगा। हम इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि न्यायिक स्थिति का निर्णय कभी भी प्रारंभिक रूप से नहीं किया जा सकता है। कुछ मामलों में, विशेष रूप से जब कानून या तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न [2021] 11 एस. सी. आर.

मुद्दा उठाया जाता है, सबूत के बाद एक पूर्ण परीक्षण का इंतजार करना चाहिए

जोड़ा गया। वर्तमान मामले में, रेस के घटकों का निर्धारण

न्यायपालिका पहले के मुकदमों में अभिवचनों और निर्णयों को चालू करती है जो

रिकॉर्ड में लाया गया है। इस मुद्दे पर बहस की गई है कि

विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष आधार; उसके बाद दो

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौर (इसके बाद दूसरा दौर)

इस अदालत द्वारा रिमांड का आदेश इस आधार पर कि सभी पक्ष नहीं थे सुना है)। इस मुद्दे को तय करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजी सामग्री है

अदालत के समक्ष और दलीलों को प्रतियोगी द्वारा संबोधित किया गया है

उस आधार पर पूरी तरह से पक्ष।

ई. 2 रेस जुडिकाटा की याचिका और पिछले तीन मुकदमे

24. अब हम तीनों मुकदमों की कार्यवाही का उल्लेख करेंगे -

यह तय करें कि निर्णयों को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका का प्रतिबंध लागू होगा या नहीं।

पिछले किसी भी सूट में।

आई. ओएस 92/1950-51/पहला सूट

25. ओएस 92/1950-51 को मस्जिद का प्रबंधन करने वाले अब्दुल खुद्दुस के खिलाफ गुब्बी शहर के पांच निवासियों द्वारा स्थापित किया गया था। सूट। सी. पी. सी. की धारा 92 के प्रावधानों के तहत एक योजना को निपटाने के लिए स्थापित किया गया था।

मस्जिद के प्रबंधन के लिए क्योंकि अब्दुल खुद्दुस पर आरोप लगाया गया था

मस्जिद को उपार्जित धन का दुरुपयोग कर रहा था और कोशिश कर रहा था

मस्जिद की संपत्ति के लिए अपना शीर्षक स्थापित करें। राहत जो

सूट में मांग की गई थी

जामिया मस्जिद के प्रशासन के लिए एक योजना का निपटान

ए।

गुब्बी में स्थित और इसकी संपत्तियों का प्रबंधन; और

बी।

प्रतिवादी को इस संबंध में लेखा देने का निर्देश देना कि

आय और अन्य निधियाँ।

वाद की अनुसूची में छह गुण थे जिनमें से क्रम संख्या 2 (जो वाद अनुसूची संपत्ति से मेल खाती है) का वर्णन किया गया है।

इस प्रकारः

" 2. 2 एकड़ 4 गुंटा मापने वाला शुष्क भूमि धारक सर्वेक्षण संख्या 2,4/- रुपये का आकलन किया गया और यह गुब्बी गाँव में स्थित है।

26. विचारण न्यायालय द्वारा बनाए गए मुद्दे इस प्रकार थे -

निम्नलिखित हैः

" (1) अनुसूची में जामिया मस्जिद की संपत्तियां हैं।

गुब्बी में जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है?

द जामिया मस्जिद बनाम। श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(2) क्या उक्त मस्जिद एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था है जैसा कि आरोप लगाया गया है

वादी?

(3) क्या यह प्रतिवादी के परिवार से संबंधित एक निजी संस्थान है? (4) क्या अनुसूचिका दुकानें प्रतिवादी के निजी धन से बनाई गई हैं?

(5) क्या वादी व्यक्ति मस्जिद में रुचि रखते हैं और हैं! सूट

रखरखाव योग्य? .

(6) क्या प्रतिवादी प्रबंधन में बने रहने का हकदार है

विचाराधीन मस्जिद?

(7) क्या कोर्ट फीस पर्याप्त है?

(8) वादी किस राहत का हकदार है?

(जोर दिया गया)

27. प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने निम्नलिखित मामले में फैसला सुनायाः

शर्तेः

" 14. ..... योजना के निपटारे का निर्देश देते हुए मुकदमा चलाया जाता है

और 5 इनके संबंध में ऊपर किए गए अवलोकन के अधीन मद 1,4 और 5 इस संबंध में ऊपर किए गए अवलोकन के अधीन हैं।

वादी। प्लीडर का शुल्क रु। 30 / - "

28. फैसले के दौरान, जिला न्यायाधीश ने चर्चा की

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने पर आया कि छह वाद संपत्तियों में से, मस्जिद के पास दो संपत्तियों का अधिकार नहीं था, अर्थात्, वस्तु 2 जो ओएस 149/1998 और वाद वस्तु 3 में तत्काल कार्यवाही में वाद संपत्ति है। अब्दुल खुद्दुस ने डी. डब्ल्यू. 6 के रूप में अपनी गवाही में अपदस्थ कर दिया कि मस्जिद का भूमि से कोई लेना-देना नहीं है (मद संख्या। 2 और 3) सरकार द्वारा उन्हें खाज़ी इनाम के रूप में दिया गया। यह देखते हुए कि वाद में वादी द्वारा इसके विपरीत कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिला न्यायाधीश ने पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज कियाः

" वादी ने यह दिखाने के लिए कुछ भी पेश नहीं किया है कि मुकदमा

वस्तु 2 और 3 मस्जिद के लिए स्वीकृत या अधिग्रहित किए गए थे।

व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी के पूर्वजों को वे नहीं करते हैं यह मस्जिद की संपत्तियों का हिस्सा है। 99

(जोर दिया गया)

29. उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अवलोकन के बाद, जिला न्यायाधीश

पैराग्राफ 10 में निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किया गया है:

" 10. अपने लिखित बयान में प्रतिवादी ने पूरे मुकदमे का दावा किया

अपने स्वयं के रूप में अचल अनुसूची। लेकिन जैसा कि पहले देखा गया है साक्ष्य केवल अनुसूची के अनुरूप होने के उसके प्रथम दृष्टया अधिकार का खुलासा करता है

आइटम 2 और 3। अतः उन दो वस्तुओं पर विचार किया जाना चाहिए -

मस्जिद से संबंधित। हालाँकि यह न्यासियों के लिए खुला रहेगा।

यदि वे विचार करते हैं तो ऐसे कदम उठाने के लिए नियुक्त किया जाना जो उचित समझे

कि उन दो मदों (मदों 2 और 3) के संबंध में प्रतिवादी

अनुदान की शर्तों को पूरा नहीं किया है।

(जोर दिया गया)

30. अब्दुल खुद्दुस द्वारा उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी

जिला न्यायाधीश के इस निष्कर्ष पर आक्षेप करते हुए कि आइटम 1,4 और 5 मस्जिद के थे। 14 अगस्त 1989 के एक फैसले में, निम्नलिखित निष्कर्षों के साथ आइटम 1 और 5 के संबंध में अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी:

" परिणाम यह है कि इस अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। के प्रतिस्थापन में

नीचे न्यायालय द्वारा की गई डिक्री, हम निर्देश देते हैं कि विद्वान जिला

न्यायाधीश अब उचित प्रशासन के लिए एक योजना का निपटारा करेंगे

मस्जिद और उसकी संपत्तियाँ जो आइटम 1 और 5 हैं।

31. ओएस 92/1950-51 धारा के तहत दायर एक प्रतिनिधि मुकदमा था।

92 सी. पी. सी., विशेष रूप से खंड (जी) के तहत, मस्जिद के प्रशासन की योजना को निपटाने के लिए। अब्दुल खुद्दुस द्वारा लगातार यह तर्क दिया गया है कि वाद अनुसूची संपत्ति का मद 2 उन्हें दिया गया था।

उन्हें एक खाज़ी इनाम के रूप में, और इस प्रकार यह एक मस्जिद की संपत्ति नहीं है। रेज़ जुडिकाटा बनाम पहले वाद की याचिका की प्रयोज्यता पर निर्णय लेने के लिए, यह आवश्यक है कि हम निम्नलिखित तीन मुद्दों पर निर्णय लें:

पहले मुकदमे का दायरा जो धारा के तहत स्थापित किया गया था

ए.

92 सी. पी. सी.;

बी.

कार्यवाहियाँ समान हैं; और क्या मुक़दमे की संपत्ति पर मालिकाना हक का मुद्दा था

सी.

पहले सूट में निर्णायक रूप से निर्णय लिया गया।

20 1954 की नियमित अपील सं. 510 द जामिया मस्जिद बनाम।

श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रतिनिधि मुक़दमे में शीर्षक का निर्धारण

ई. 2.1

32. महांत प्रागदासजी गुरु भगवानदासजी बनाम। पटेल

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ईश्वरलालभाई नरसिभाई 2 1 ने सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत एक प्रतिनिधि मुकदमे के दायरे को समझाया। उस मामले में, मांगी गई राहतों में से एक सूट संपत्ति को कैवल्य या करुणा सागर पंथ की धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट संपत्ति के रूप में घोषित करना था, जबकि प्रतिवादी ने तर्क दिया कि सूट संपत्ति निजी थी संपत्ति। न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी ने पीठ की ओर से बोलते हुए सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत एक मुकदमे के दायरे के बारे में विस्तार से बताया, विशेष रूप से एक घोषणा की मांग करने वाले राहत को देखते हुए:

" 10 एस. 92 के तहत एक सूट। सिविल पी. सी. एक विशेष प्रकृति का मुकदमा है जो

एक धार्मिक सार्वजनिक न्यास के अस्तित्व का अनुमान लगाता है

या धर्मार्थ चरित्र। इस तरह का मुकदमा केवल इस आरोप पर आगे बढ़ सकता है कि इस तरह के विश्वास का उल्लंघन हुआ है या न्यायालय से निर्देश उसके प्रशासन के लिए आवश्यक हैं, और

इसे एक या अन्य राहतों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो हैं

धारा 92 और वाद इस आधार पर आगे बढ़े कि प्रतिवादी, जिस पर सार्वजनिक न्यास के संबंध में न्यासी होने का आरोप लगाया गया था, विश्वासघात का दोषी था। प्रतिवादी ने ट्रस्ट के अस्तित्व से इनकार किया और आगे इनकार किया कि वह दोषी था दुराचार या विश्वासघात। इनकार नहीं किया जा सका

निश्चित रूप से न्यायालय की अधिकारिता को हटा दें, लेकिन जब

अदालतों ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर समवर्ती रूप से पाया कि विश्वासघात के आरोप नहीं लगाए गए थे, और चूंकि यह वादी का मामला नहीं था, इसलिए उचित कार्य के लिए अदालत का कोई भी निर्देश आवश्यक था।

न्यास का प्रशासन, एक मुक़दमे की नींव

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत बन गया

वांछित और वादी के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं था

विश्वास पूरी तरह से महत्वहीन था और क्योंकि यह असंबद्ध था जिन आधारों पर मामला वास्तव में निपटाया गया था

के, इसे डिक्री या अंतिम का हिस्सा नहीं बनाया जा सका के पक्ष में एक घोषणात्मक राहत के रूप में आदेश

वादी। यह विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है

उत्तरदाताओं ने कहा कि भले ही वादी दूसरे को साबित करने में विफल रहे

शिकायत में लगाए गए आरोप, वे यह साबित करने में सफल रहे कि

संपत्तियाँ सार्वजनिक और धर्मार्थ न्यास की संपत्तियाँ थीं-एक तथ्य जिसे प्रतिवादी ने अस्वीकार कर दिया। इन परिस्थितियों में, वहाँ था

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत तैयार किया गया मुकदमा एकमात्र राहत जिसका वादी दावा कर सकता है और अदालत

अनुदान दे सकते हैं जो विशेष रूप से अलग-अलग में गिने जाते हैं खंड के खंड। एक राहत एक घोषणा के लिए प्रार्थना कर रही है कि

मुक़दमे में संपत्तियाँ ट्रस्ट संपत्तियाँ नहीं आती हैं

इनमें से किसी भी खंड के तहत। जब प्रतिवादी इनकार करता है

एक न्यास का अस्तित्व, एक घोषणा कि न्यास मौजूद है

के तहत दावा की गई मुख्य राहत के सहायक के रूप में बनाया जा सकता है

धारा यदि वादी इसके लिए हकदार है; लेकिन जब

वादी का मामला कार्रवाई के कारण के अभाव में विफल हो जाता है, कोई नहीं है

के प्रावधान के तहत उसे एक घोषणात्मक राहत देने के लिए वारंट सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92। के बारे में निष्कर्ष

ऐसी परिस्थितियों में एक सार्वजनिक न्यास का अस्तित्व नहीं होगा

एक आज्ञाकारी उक्ति से अधिक और अंतिम निर्णय का गठन नहीं कर सकता है सूट में "।

(जोर दिया गया)

33. भगवानदासजी (ऊपर) निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं -

सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत एक प्रतिनिधि मुकदमे का अंशः

वादी केवल उन राहतों की मांग कर सकता है जो इनमें से किसी के अंतर्गत आते हैं।

((i)

धारा 92 सी. पी. सी. में खंड। एक घोषणा कि मुकदमा

संपत्ति न्यास की है, दायरे में नहीं आती है

धारा 92 सी. पी. सी. में उल्लिखित किसी भी राहत की और है प्रावधान के दायरे से बाहर;

((ख)

केवल इसलिए कि प्रतिवादी न्यास के शीर्षक से इनकार करता है

मुक़दमे की संपत्ति पर, अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है

बेदखल किया जाए; द जामिया मस्जिद बनाम। श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(iii)

जब न्यास के शीर्षक का विरोध किया जाता है, तो इसका निर्धारण

मुक़दमे की संपत्ति का स्वामित्व इस उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि

अंतिम राहत पर निर्णय, और इस प्रकार इसे मुख्य राहत के लिए सहायक बनाया जा सकता है यदि वादी का अधिकार है

सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत मांगी गई राहत; और

((iv) यदि वादी मांगी गई राहत का हकदार नहीं है, तो उस मामले में वाद संपत्ति के स्वामित्व पर कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अंतिम के लिए असंगत होगा।

मुक़दमे में निर्णय।

भगवानदासजी (उपरोक्त) में विकसित सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत पहले मुकदमे में मांगी गई राहत मस्जिद के प्रबंधन की योजना के निर्धारण के लिए थी। मस्जिद के संबंध में सूट संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण

सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत मुख्य राहत के लिए सहायक था।

ई. 2.2 प्रतिनिधि सूट और रेस जुडिकाटा

34. हम यह पहचानने के लिए अगला विज्ञापन देते हैं कि क्या तत्काल कार्यवाही (ओएस 149/1998) में पक्ष पहले मुकदमे (ओएस 92/1950 51) के समान हैं। पहला मुकदमा मस्जिद-जामिया मस्जिद के इच्छुक पक्षों द्वारा दायर एक प्रतिनिधि मुकदमा था, जबकि तत्काल मुकदमा जामिया मस्जिद के अध्यक्ष द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में दायर किया गया था। राजे आनंदराव बनाम। शामराव 22, मुख्य न्यायाधीश पी. बी. गजेंद्रगडकर (जैसा कि वे उस समय कर रहे थे) ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

" 13 ... .धारा 92 के तहत एक मुकदमा एक प्रतिनिधि मुकदमा है और न केवल इसके पक्षों को बल्कि उन सभी को बाध्य करता है जो इसमें रुचि रखते हैं

विश्वास कीजिए "।

35. अहमद आदम सैत बनाम। एम. ई. मखरी 2,3, मुख्य न्यायाधीश पी. बी. गजेंद्रगडकर (जैसा कि वे उस समय कर रहे थे) ने तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से कहाः

" 16 ..... जब कोई मुकदमा धारा 92 के तहत लाया जाता है, तो इसे ट्रस्ट में रुचि रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा लाया जाता है जिन्होंने इसे लिया है। स्वयं न्यास के सभी लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी। इस तरह के मुकदमे में, हालांकि सभी लाभार्थियों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जा सकता है, उनकी ओर से कार्रवाई शुरू की जाती है और

22 (1961) 3 एससीआर 930

23 (1964) 2 एससीआर 647 [2021] 11 एससीआर

संहिता की धारा 11 के लिए स्पष्टीकरण VI के प्रावधानों को तुरंत आकर्षित करता है। स्पष्टीकरण VI में यह प्रावधान है कि जहां व्यक्ति मुकदमा करते हैं सार्वजनिक अधिकार या अपने और दूसरों के लिए समान रूप से दावा किए गए निजी अधिकार के संबंध में ईमानदारी से, ऐसे अधिकार में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस तरह से मुकदमा करने वाले व्यक्तियों के तहत दावा करने वाला माना जाएगा। यह स्पष्ट है कि धारा 11

इसके स्पष्टीकरण VI के साथ पढ़ने से यह परिणाम मिलता है कि व्यक्तियों द्वारा स्थापित वाद में पारित एक डिक्री जिस पर स्पष्टीकरण VI लागू होता है,

समान अधिकार में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के आगे के दावों को रोकें

जिसमें से पूर्व मुकदमा दायर किया गया था। स्पष्टीकरण VI इस प्रकार

रचनात्मक रेस जुडिकाटा के एक पहलू को दर्शाता है। कहाँ ए।

प्रतिनिधि मुकदमा धारा 92 के तहत लाया जाता है और एक डिक्री है इस तरह के मुकदमे में पारित, कानून यह मानता है कि सभी व्यक्ति जिनका प्रतिनिधि मुकदमे में वादी के समान हित है, उनका प्रतिनिधित्व उक्त वादी द्वारा किया गया था और इसलिए, न्यायाधीश द्वारा मामलों को सीधे फिर से शुरू करने से रचनात्मक रूप से वर्जित किया जाता है और

काफी हद तक उक्त पहले के मुकदमे में मुद्दा "।

आर. वेणुगोपाल नायडू (ऊपर) में भी यही सिद्धांत दोहराया गया था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक में न्यायाधीश पीठ का फैसला

मिट्टी वी। महांत हरनाम सिंह सी। (मृत) एम. एन. सिंह 2 4, यह

आयोजितः

" 19. जैसा कि इस न्यायालय ने आर. वेणुगोपाल में कहा था

नायडू बनाम. वेंकटरायुलु नायडू चैरिटीज़ [1989 पूरक (2) एस. सी. सी. 356: ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 444] धारा 92 सी. पी. सी. के तहत एक मुकदमा सार्वजनिक न्यास और दान में सार्वजनिक अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रकृति का मुकदमा है। मुकदमा मूल रूप से ट्रस्ट में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के पूरे निकाय की ओर से है। यह इसके लिए है

सार्वजनिक अधिकारों का समर्थन। न्यास के लाभार्थी, जो बड़े पैमाने पर जनता शामिल हो सकती है, धारा के तहत मुकदमा दायर करने के उद्देश्य से अपने बीच दो या दो से अधिक व्यक्तियों का चयन कर सकती है।

92 सी. पी. सी. और उस घटना में मुकदमा-शीर्षक केवल वादी के रूप में उनके नाम दिखाएगा। क्या हम यह कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों के नाम वाद-शीर्षक में हैं, वे ही वाद के एकमात्र पक्ष हैं? इसका जवाब

नकारात्मक होगा। नामित वादी बड़े पैमाने पर जनता के प्रतिनिधि हैं जो ट्रस्ट में रुचि रखते हैं, ऐसे सभी इच्छुक व्यक्तियों को कानून की नजर में पक्षकार माना जाएगा।

2003 एस. सी. 3349 द जामिया मस्जिद बनाम। श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सूट के लिए। इस प्रकार सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत एक मुकदमा एक प्रतिनिधि है।

सूट और इस तरह न केवल सूट-शीर्षक में नामित पक्षों को बल्कि उन सभी को भी बाध्य करता है जो समान हित साझा करते हैं और ट्रस्ट में रुचि रखते हैं। यही कारण है कि सी. पी. सी. की धारा 11 का स्पष्टीकरण VI रचनात्मक रूप से इच्छुक व्यक्तियों के पूरे निकाय को धारा 92 सी. पी. सी. के तहत पहले के मुकदमे में सीधे और पर्याप्त रूप से मुद्दों को फिर से शुरू करने से रोकता है। उपरोक्त अधिकारियों के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि

प्रतिनिधि मुकदमा सभी इच्छुक पक्षों के लिए बाध्यकारी है। इसलिए, पहले मुकदमे में अदालत का फैसला जामिया मस्जिद पर बाध्यकारी होगा और अगर इसका निर्णायक रूप से फैसला हो गया है तो यह उसी मुद्दे पर दूसरा मुकदमा शुरू करने से रोक देगा। अब इसका विश्लेषण किया जाना है कि क्या तत्काल मुकदमे में मूल मुद्दे को पहले मुकदमे में निर्णायक रूप से तय किया गया था।

ई. 2.2 निर्णायक निर्णय और रेस जुडिकाटा

सज्जादानशीन सैयद एम. डी. बी. ई. एड्र। (घ) एल. आर. एस. द्वारा। वी. मूसा दादाभाई उम्मर। 25 . निर्णय के दौरान, न्यायालय ने धारा 11 में "प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी" अभिव्यक्ति का विश्लेषण किया और अनिवार्यता और आवश्यकता के दोहरे परीक्षण को निर्धारित कियाः

" 12. यह ध्यान दिया जाएगा कि धारा 11 सी. पी. सी. में उपयोग किए गए शब्द "प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक जारी किए गए हैं"। यदि मामला प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक किसी पूर्व मुकदमे में मुद्दा था और किसी पक्ष के खिलाफ निर्णय लिया गया था तो निर्णय बाद की कार्यवाही में न्यायिक होगा। हालाँकि न्यायिक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कोई मामला केवल "संपार्श्विक या आकस्मिक रूप से" मुद्दे में था और पहले की कार्यवाही में निर्णय लिया गया था, तो उसमें निष्कर्ष आमतौर पर बाद की कार्यवाही में न्यायिक नहीं होगा जहां मामला सीधे और प्रासंगिक है।

काफी हद तक मुद्दे में "।

18. भारत में, मुल्ला ने इसी तरह के परीक्षणों का उल्लेख किया है (मुल्ला, 15 वीं संस्करण, पी। 104)। विद्वान लेखक कहते हैंः के संबंध में एक मामला पहले के मुकदमे में किस राहत का दावा किया गया है, इसे आम तौर पर "प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से" मुद्दा कहा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है

25 (2000) 3 एससीसी 350 [2021] 11 एस. सी. आर.

कि यदि मामला ऐसा है जिसके संबंध में कोई राहत नहीं मांगी गई है तो वह है

प्रत्यक्ष रूप से या महत्वपूर्ण रूप से मुद्दे में नहीं। यह हो भी सकता है और नहीं भी। यह है।

संभव है कि यह "प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से" जारी किया गया था और यह हो सकता है

यह भी संभव है कि यह केवल संपार्श्विक या संयोग से जारी किया गया था,

मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। सवाल यह है कि

एक परीक्षण यह है कि यदि इस मुद्दे पर निर्णय लेना "आवश्यक" था मुख्य मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए और निर्णय लिया गया था, यह

इसे "प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से" माना जाना चाहिए

मुद्दा और यदि यह स्पष्ट है कि निर्णय वास्तव में आधारित था

उस निर्णय पर, यह बाद में न्याय होगा

मामला (मुल्ला, पृ. 104)। अभियोग की जांच करनी होती है, लिखित

बयान, मुद्दे और निर्णय यह पता लगाने के लिए कि क्या मामला है

यह सीधे और काफी हद तक मुद्दे में था (ईश्वर सिंह बनाम। सरवन सिंह [ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 948] और सैयद मोहम्मद। सैली लब्बई बनाम।

मोहम्मद. हनीफा [(1976) 4 एस. सी. सी. 780 ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1569])। हम.

इनका मानना है कि मुल्ला में उपरोक्त सारांश सही है। कानून का कथन।

19. हमें यहाँ सावधानी के एक अन्य सिद्धांत का प्रचार करना है जिसका उल्लेख किया गया है।

मुल्ला द्वारा (पृ. 105):

" यह नहीं माना जाना चाहिए कि किन मुद्दों के संबंध में मायने रखता है उन सभी को सीधे और काफी हद तक तैयार किया गया है

मुद्दा। न ही इससे जुड़ा कोई विशेष महत्व है

तथ्य यह है कि मुद्दों की सूची में एक विशेष मुद्दा पहला है। किसमें से

मामले सीधे मुद्दे में हैं और जो संपार्श्विक रूप से या

संयोग से, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिए। ए.

लागू किया जाने वाला सामग्री परीक्षण यह है कि क्या न्यायालय इस पर विचार करता है

मुद्दे की सामग्री का निर्णय और इसके निर्णय के लिए आवश्यक है।

(जोर दिया गया)

37. महांत प्रागदासजी गुरु के निर्णय को स्वीकार करते हुए

वंदासजी (ऊपर) और पहले के दो निर्णय 26, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

ऐसे उदाहरण थे जहाँ पहले के मुकदमे में प्रतिकूल निष्कर्षों के बावजूद,

उस विशिष्ट मुद्दे पर झुकने को न्यायिक प्रक्रिया के रूप में नहीं माना गया था क्योंकि यह

प्रत्येक में मुख्य मुद्दे के लिए आकस्मिक, सहायक या संपार्श्विक

पहले के मामले में आवश्यक नहीं।

बहादुर सिंह बनाम। लुचो कोएर, आई. एल. आर. (1885) 11 कल 301; असरार अहमद बनाम। दरगाह इट्टी, आकाशवाणी 1947 पी. सी. 1.

द जामिया मस्जिद बनाम। श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

38. ग्राम नौलखा बनाम की ग्राम पंचायत में एक अन्य निर्णय में। उजागर सिंह 2 7, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निषेधाज्ञा के लिए पहले के मुकदमे में निर्णय, जहां अधिकार के किसी भी प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया गया था, अधिकार के प्रश्न पर बाध्यकारी नहीं होगाः

" 10. हम एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भी जोड़ सकते हैं जो धारा 11 सी. पी. सी. के तहत अक्सर उत्पन्न होता है। प्रत्यर्थी द्वारा पूर्व मुकदमा पंचायत के खिलाफ मुकदमा केवल निषेधाज्ञा के लिए था न कि मालिकाना हक के लिए। शीर्षक का कोई सवाल नहीं उठाया गया या निर्णय नहीं लिया गया। अतः उक्त निर्णय स्वामित्व के प्रश्न पर बाध्यकारी नहीं हो सकता है। देखें।

" पूर्ववर्ती वाद में निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने के लिए अधिकार के प्रश्न का निर्णय करना आवश्यक है और यह कि निषेधाज्ञा के लिए राहत स्थापित की गई थी या अधिकार पर निष्कर्ष पर आधारित थी। यहाँ तक कि शीर्षक पर किसी मुद्दे को केवल तैयार करना भी पर्याप्त नहीं हो सकता है जैसा कि इसमें बताया गया है। उस मामले में
"।

हालाँकि, सज्जादानशीन सैयद (ऊपर) में, एक पूर्व निर्णय में

सुलोचना अम्मा (ऊपर) और मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला

अद्वितीय तथ्यों पर जोर देने के लिए वनगिरी 28 का उल्लेख किया गया था।

प्रत्येक मामले का और इस बात के निर्धारण के लिए इसका महत्व कि क्या मुद्दा

काफी हद तक तय किया गया था। दोनों संदर्भित मामलों में, मुद्दा था

क्या किसी निषेधाज्ञा मुकदमे में मालिकाना हक का पता लगाने से बचाव के रूप में काम चलेगा

शीर्षक की घोषणा के लिए एक बाद के मुकदमे के लिए न्यायिक आदेश। सुलोचना में रहते हुए

अम्मा, यह माना गया था कि रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के अनुसार, निष्कर्ष

वनगिरी में बाद के मुकदमे पर रोक लगा दी जाएगी, यह माना गया कि शीर्षक निर्णायक रूप से तय नहीं किया गया था और बाद के मुकदमे पर रोक नहीं लगाई जाएगी। यह देखा गया कि आवश्यकता और अनिवार्यता के दोहरे परीक्षण कर सकते हैं के आधार पर एक समान प्रकृति के मुकदमों पर विभिन्न निष्कर्षों की ओर ले जाता है

उनमें से प्रत्येक में तथ्य और परिस्थितियाँ।

39. नंद राम (मृत) थ्रू में एक और हालिया निर्णय में

कानूनी प्रतिनिधि बनाम। जगदीश प्रसाद (मृत) कानूनी माध्यम से

27 (2000) 7 एस. सी. सी. 543

28 वनगिरी श्री सेलियम्मन अय्यनार उथिरसोमसुंदरेश्वर मंदिर बनाम। राजंगा असारी,

वाणी 1965 मैड 355 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिनिधि 29, दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस सिद्धांत को दोहराया कि यदि कोई मामला केवल संपार्श्विक रूप से या सहायक तरीके से जारी किया गया है या पहले की कार्यवाही में निर्णय लिया गया है, तो निष्कर्ष सामान्य रूप से वापस नहीं लिया जाएगा।

बाद की कार्यवाही में न्यायिक स्थिति जहां मामला प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दे में है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता (दो न्यायाधीशों के लिए लिखना)

पीठ) ने नोट किया कि सामग्री परीक्षण लागू किया जाना है कि क्या मुद्दे का निर्णय निर्णय के लिए सामग्री और आवश्यक है। में।

नंद राम, वादी द्वारा प्रतिवादियों को पट्टे पर दी गई भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत किया गया था। मुआवजे के बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। के खिलाफ मुकदमा तय किया गया था

प्रतिवादी ने इस आधार पर कि प्रतिवादी ने 12 महीने से अधिक समय तक पट्टे के किराए का भुगतान नहीं किया और इस प्रकार पट्टे के समझौते के अनुसार,

पट्टा समाप्त हो चुका था। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी मुआवजे का हकदार नहीं होगा। इसके बाद, वादी ने एक बेदखली का मुकदमा दायर किया जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी के पास उस भूमि का कब्जा था जो

पट्टा विलेख में शामिल नहीं। उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में कहा कि बाद के मुकदमे को न्यायपालिका द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि पूर्व मुकदमे ने मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व पर निर्णायक रूप से निर्णय लिया था। अपील पर,

इस अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि स्वामित्व के मुद्दे पर पहले के मुकदमे में निर्णायक रूप से निर्णय नहीं लिया गया था।

40. ऊपर उल्लिखित अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए, दोहरे परीक्षण का उपयोग इस बात की पहचान के लिए किया जाता है कि क्या कोई मुद्दा निर्णायक रूप से किया गया है

पिछले मुकदमे में तय किया गया हैः

क्या इस मुद्दे का निर्णय 'आवश्यक' था

ए.

मुख्य मुद्दे ('आवश्यकता परीक्षण') पर निर्णय लेना; और

बी.

क्या वाद में निर्णय निर्णय पर आधारित है

उस मुद्दे पर ('अनिवार्यता परीक्षण')।

मस्जिद का प्रशासन इसके बिना नहीं हो सकता था मुकदमे के शीर्षक का निर्णय। शिकायत में दो अलग-अलग बातें हैं

मस्जिद के धन का दुरुपयोग; और (ii) कि वह सूट संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर रहा था। प्रतिवादी ने प्रतिवाद किया कि मुक़दमे की संपत्ति उसकी है। इसलिए, चूंकि खिताब का विरोध किया गया था, इसलिए यह आवश्यक था कि पहले मुकदमे में अदालत यह निर्धारित करे कि मुकदमा संपत्ति है या नहीं। 29 (2020) 9 एस. सी. सी. 393 द जामिया मस्जिद बनाम।

श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रशासन की योजना पर निर्णय लेने के लिए मस्जिद से संबंधित था मस्जिद। यह तर्क कि निचली अदालत एक प्रतिनिधि मुकदमे में मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व पर निर्णय नहीं ले सकती थी, भगवानदासजी के मामले पर भरोसा करते हुए पूर्ववर्ती धारा में पहले ही संबोधित किया जा चुका है।

(ऊपर)। पहले मुकदमे में निर्णय पर अनिवार्यता परीक्षण लागू करने पर, यह पहचानना होगा कि क्या उस मामले में अदालत द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय में बदलाव किया जाएगा यदि स्वामित्व पर मुद्दा अन्यथा निर्धारित किया गया था। क्या मस्जिद के प्रशासन के लिए योजना सूट संपत्ति को भी शामिल करेगी, पूर्व में निर्णय के लिए आवश्यक था

सूट। अगले खंड में हम यह पता लगाएंगे कि पूर्व वाद में निर्णय की प्रकृति और महत्व क्या था।

ई. 2.3। 1 मुद्दा और रेस जुडिकाटा में समानता

41. इस मुद्दे के अलावा कि क्या मुकदमे की संपत्ति का अधिकार पहले मुकदमे में निर्णायक रूप से तय किया गया था, यह आवश्यक है कि हम पहचान करें कि क्या

पूर्व और बाद के मुकदमों में जारी मामले समान हैं। सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत पहला मुकदमा जामिया मस्जिद के प्रशासन और इसकी संपत्तियों के प्रबंधन की एक योजना को निपटाने के लिए था। और प्रतिवादी द्वारा अपनी निधियों और आय के खातों का प्रतिपादन। बाद के मुकदमे में, मुक़दमे की संपत्ति को वक्फ़ संपत्ति के रूप में घोषित करने के लिए प्रार्थना की गई थी। पहले मुकदमे में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मुकदमे की संपत्ति 'प्रथम दृष्टया' अब्दुल खुद्दुस की संपत्ति थी; कि यह थी

अपने पूर्वजों को एक सेवा इनाम के रूप में, एक खाज़ी के रूप में उनके कार्यों के लिए दिया गया। बाद के मुकदमे में कार्रवाई का कारण यह था कि अब्दुल खुद्दुस के उत्तराधिकारियों ने मुकदमे की संपत्ति को अलग कर दिया था। ये थे मामले पूर्व वादमे न्यायनिर्णित कयल गेल मामला ओहिमे देल गेल मामला जकाँ नहि अछि।

दो कारणों से अगला मुकदमाः सबसे पहले, मुक़दमे की संपत्ति घोषित करने वाली अधिसूचना के परिणामस्वरूप एक बदली हुई परिस्थिति थी

एक वक्फ संपत्ति के रूप में जो पहले मुकदमे के निर्णय के बाद जारी की गई थी; दूसरा, पहले मुकदमे में, जो अनिवार्य रूप से प्रशासन के लिए एक मुकदमा था, यह पाया गया कि मुकदमे की संपत्ति प्रथम दृष्टया अब्दुल खुद्दुस की है।

42. मुक़दमे की संपत्ति पर निर्णय इस बात पर केंद्रित था कि क्या यह मस्जिद से संबंधित है। हालाँकि मुकदमे की संपत्ति को प्रथम दृष्टया मस्जिद से संबंधित नहीं घोषित किया गया था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि यह खाज़ी अब्दुल खुद्दुस की व्यक्तिगत संपत्ति थी, जिस पर उनका पूर्ण या अविभाज्य अधिकार था, विशेष रूप से उनके बयान को देखते हुए कि संपत्ति उनके पूर्वजों [2021] 11 एस. सी. आर. को इनाम के रूप में दी गई थी।

उनकी सेवाओं के लिए एक खाज़ी। इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि क्या मुक़दमे की संपत्ति एक व्यक्तिगत इनाम थी या कार्यालय से जुड़ी इनाम; अनुदान की शर्तों पर पहले के मुक़दमे में कोई निर्णय नहीं था। इस प्रकार, पूर्व मुकदमे में मुकदमे की संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व पर कोई निर्णय नहीं दिया गया था। एक साथ पढ़ने पर, पहले मुकदमे में निचली अदालत के फैसले के पैराग्राफ 7 और पैराग्राफ 10 में जो निष्कर्ष सामने आए हैं, वे स्पष्ट हैं कि जिला न्यायाधीश ने एक निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला कि उस मुकदमे की अनुसूची का आइटम 2 (जो वर्तमान मामले में सूट अनुसूची संपत्ति से मेल खाता है) अब्दुल खुद्दुस की व्यक्तिगत संपत्ति थी। वास्तव में, "प्रथम दृष्टया सही" अभिव्यक्ति का उपयोग

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यदि प्रतिवादी ने अनुदान में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं किया है तो न्यास उस मुकदमे में अनुसूची की मद 2 और मद 3 के संबंध में उचित कदम उठा सकता है। इस प्रकार मुद्दा संख्या 1 पर निष्कर्ष कि अनुसूची आइटम 1,4 और 15 मस्जिद से संबंधित हैं, विशेष रूप से जो कहा गया है उसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। ऊपर। उपरोक्त विश्लेषण से, यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले के मुकदमे में कोई निर्णय नहीं था कि अब्दुल खुदुस का मुकदमे की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार था।

43. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, तत्काल कार्यवाही को जन्म देने वाला मुकदमा निम्नलिखित कारणों से पहले मुकदमे द्वारा वर्जित नहीं हैः

पहले मुकदमे में अदालत को निर्णय लेने से बाहर नहीं किया गया था

((i)

यदि मुकदमा संपत्ति धारा 92 सी. पी. सी. के तहत एक मुकदमे में प्रशासन के लिए एक योजना का निपटान करते समय मस्जिद की थी;

धारा 92 के तहत मुकदमा एक प्रतिनिधि चरित्र का है।

((ख)

और डिक्री ट्रस्ट में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को बाध्य करेगी

संपत्ति;

पूर्व मुकदमे में एक 'प्रथम दृष्टया' निष्कर्ष निकला कि

(iii)

मुक़दमे की संपत्ति अब्दुल खुद्दुस की थी; और

((iv) एक योजना के निपटारे के लिए एक मुकदमे के संदर्भ में

प्रशासन, पहले मुकदमे में मुद्दा यह था कि क्या मुकदमे की संपत्ति जामिया मस्जिद की थी। कोई निर्णय या निष्कर्ष नहीं था कि खाज़ी अब्दुल खुद्दुस के पास था

संपत्ति पर पूर्ण अधिकार, विशेष रूप से अब्दुल खुद्दुस के बयान को देखते हुए कि संपत्ति को जामिया मस्जिद बनाम दिया गया था।

श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एक खाज़ी इनाम के रूप में, अदालत के अवलोकन के साथ कि संपत्ति पर उनका 'प्रथम दृष्टया' अधिकार था। इसलिए, अब्दुल खुद्दुस की उपाधि का कथित दावा नहीं था न्यायनिर्णित। इस प्रकार, वे मामले जो पहले मुकदमे और तत्काल कार्यवाही में अदालत के समक्ष जारी किए गए थे

विशिष्ट।

1968 का II OS 748: दूसरा सूट

44. यह मुकदमा मैसूर राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया था।

1 खुदू और एच. एस. गुरुराजराव को पहले और दूसरे के रूप में शामिल किया गया था।

और मुक़दमे के प्रतिवादी। शिकायत में निम्नलिखित शामिल थेः

धारणाएँः

सूट संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है जो 'खाज़ी' के रूप में समर्पित है।

((i)

सेवा इनाम '। जो लोग खाज़ी की सेवा करते हैं, वे सेवा इनाम के कब्जे में रहने के हकदार हैं और

वक्फ कोष का भुगतान करने के बाद लाभ प्राप्त करना;

अब्दुल खुद्दुस पुण्य से कब्जे में रहने के हकदार थे।

((ख)

खाज़ी के रूप में उनका पद, जिसके अलावा उनका कोई अधिकार नहीं था,

शीर्षक या ब्याज;

मुक़दमे की संपत्ति को वक्फ़ के रूप में अधिसूचित किया गया था

(iii)

पूछताछ की। 10 जुलाई को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी।

1965 मुक़दमे की संपत्ति को वक्फ़ संपत्ति के रूप में अधिसूचित करना;

((iv) कार्रवाई का कारण 10 जुलाई 1965 को सामने आया जब अवैध

और दूसरे प्रतिवादी द्वारा वाद संपत्ति पर जबरन कब्जा वादी के संज्ञान में आया; और

जिन राहतों की मांग की गई थी वे थीं:

(v)

एक घोषणा कि संपत्ति एक वक्फ है;

ए।

मुक़दमे की संपत्ति के कब्जे के लिए एक डिक्री।

बी।

45. दूसरे प्रतिवादी ने एक लिखित बयान दायर किया जिसमें कहा गया कि वह

संपत्ति होने की स्थिति में किराया देने के लिए तैयार

संपत्ति। पक्षकारों द्वारा एक समझौता याचिका दायर की गई थी

27 अक्टूबर 1969 को आर 23 नियम 1 सी. पी. सी. ने परिकल्पना की कि

घ प्रतिवादी मुकदमा संपत्ति का पट्टेदार तब तक बना रहेगा जब तक कि

पट्टे की अवधि (मई 1971 का अंत) जिसके लिए पट्टे का भुगतान पहले प्रतिवादी को नहीं किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, यदि वह [2021] 11 एस. सी. आर. चाहते हैं।

डी उसके बाद उसके पट्टे पर, वह एक नया समझौता कर सकता है

पहले प्रतिवादी के साथ, ऐसा न करने पर वह बाद में खाली कर देगा

भवन का निर्माण। समझौता याचिका पर 27 अक्टूबर 1969 को मुकदमा चलाया गया था। दूसरे में आधार और नींव यह था किः

((i)

याचिका कि वाद संपत्ति के आधार पर एक वक्फ है

जिसकी घोषणा की गई थी;

अब्दुल खुद्दुस को केवल अपने अधिकार में अधिकार था।

((ख)

एक खाज़ी के रूप में क्षमता, अनुदान एक खाज़ी सेवा इनाम है;

इस संपत्ति को मैसूर में वक्फ के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(iii)

की घोषणा के अनुसार 10 जुलाई 1965 को राज्य राजपत्र

अब्दुल खुद्दुस द्वारा सदस्यता प्राप्त एक वक्फ;

(iv) समझौता आदेश में परिकल्पना की गई है कि एच. एस. गुरुराजराव

पहले प्रतिवादी को किराया का भुगतान करेगा और पट्टे की अवधि पूरी होने पर मुकदमे की संपत्ति का कब्जा पहले प्रतिवादी को सौंप देगा। समझौता विलेख में ऐसा कोई खंड नहीं है कि अब्दुल खुद्दुस को पूर्ण अधिकार प्राप्त था

संपत्ति के लिए; और

दूसरे मुकदमे में राज्य वक्फ बोर्ड ने घोषणा करने की मांग की।

(v)

राहत और कब्जे के लिए एक डिक्री। अभियोग के पढ़ने से संकेत मिलता है कि शिकायत की आवश्यक प्रकृति दूसरे प्रतिवादी को दिए गए पट्टे के संबंध में थी।

वक्फ बोर्ड का मामला यह था कि संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित किया गया था और राजपत्र में वक्फ के रूप में अधिसूचित किया गया था; अब्दुल खुद्दुस अपने पद के आधार पर काजी के रूप में उपयोग के हकदार थे; और दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में पट्टा वक्फ बोर्ड को बाध्य नहीं करेगा। मुकदमे से

समझौता किया गया और दूसरा प्रतिवादी पहले प्रतिवादी को कब्जा सौंपने के लिए सहमत हो गया। अब्दुल खुद्दुस की उपाधि के सवाल पर दावे के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा गया था।

ई. 2.4 समझौता डिक्री और रेस जुडिकाटा

46. अपीलार्थी के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि मैसूर राज्य बोर्ड के बीच एक रोमिस डीड पर पहुंचा गया था।

, अब्दुल खुद्दुस और पट्टेदार के स्वामित्व के संबंध में, अन्य राहतों को छोड़ दिया गया है।

इस प्रकार यह द जामिया मस्जिद बनाम था। श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

तर्क दिया कि समझौता विलेख को देखते हुए, वाद संपत्ति के स्वामित्व के दावे को छोड़ दिया गया है और बाद के मुकदमे में नहीं उठाया जा सकता है। पुलवर्थी वेंकट सुब्बा राव बनाम। वल्लूरी जगन्नाथ राव 30 और सुंदराबाई बनाम। देवाजी शंकर देशपांडे 3 1, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि समझौता डिक्री न्यायालय का निर्णय नहीं है, इसलिए न्यायिक निर्णय के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह माना गया था कि समझौता डिक्री प्रभावी रूप से दोनों के बीच आचरण द्वारा अवरोध पैदा कर सकती है।

पक्षकारों और विरोध द्वारा पक्षकारों को बाद में मुकदमा शुरू करने से रोका जाएगा। मुख्य न्यायाधीश भगवती (जैसा कि वे उस समय थे) ने सुंदरबाई में तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए कहाः

> समान लेकिन रोक का अंतर्निहित सिद्धांत अभी भी लागू होगा। वीडियोः सी. पी. सी. की धारा 11 पर सर दिनशॉ मुल्ला की टिप्पणी पी. 84 11 वीं ई. एन. शीर्षक के तहत सहमति आदेश और रोकः " वर्तमान धारा सहमति आदेशों के संदर्भ में लागू नहीं होती है; क्योंकि ऐसी आदेशों के मामलों में यह नहीं कहा जा सकता है कि पक्षों के बीच मुद्दे के मामलों की सुनवाई की गई है और अंत में इस धारा के अर्थ के भीतर निर्णय लिया गया है। हालाँकि, एक सहमति डिक्री के सभी इरादों और उद्देश्यों का वही प्रभाव होता है जो आमंत्रण में पारित डिक्री के रूप में होता है। यह एक एस्टोपेल को उतना ही बढ़ाता है जितना कि
>
> आदेश आमंत्रण में पारित किया गया "।

चूँकि यह आचरण द्वारा बहिष्कार का सिद्धांत है जो बाद के मुकदमे की संस्था को बाधित करेगा, इसलिए यह उचित है कि हम

30 आकाशवाणी 1967 एससी 591

क्योंकि यह केवल इस आधार पर एक समझौता डिक्री को चुनौती देने से रोकता है कि यह गैरकानूनी है। इसलिए, समझौते को ध्यान में रखते हुए दूसरे मुकदमे का निपटारा उस मुकदमे को दायर करने पर रोक नहीं लगाएगा जिसमें से तत्काल कार्यवाही उत्पन्न होती है।

III. 1983 का ओएस 100: तीसरा सूट

अब्दुल खुद्दुस (पहला प्रतिवादी) का बेटा जबकि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां प्रतिवादी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें संपत्ति की मांग की गई थी। पहले प्रतिवादी द्वारा अलग किया जाए।

48. वादपत्र में यह कहा गया था कि कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ जब पहला प्रतिवादी जिसका वाद अनुसूची संपत्ति में कोई अधिकार और हित नहीं था, दूसरे, तीसरे और चौथे प्रतिवादियों की सहायता से वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था। मुकदमे में जो राहत मांगी गई थी, वह एक स्थायी निषेधाज्ञा थी जो प्रतिवादियों को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकती थी -

कर्नाटक वक्फ बोर्ड। यह मुकदमा 4 अगस्त 1983 को दायर किया गया था। उल्लेखनीय है कि जिस मुकदमे से वर्तमान विवाद उत्पन्न होता है, वह 5 नवंबर 1984 को घोषणा और अधिकार प्राप्त करने के लिए दायर किया गया था। यह था।

इसके बाद ही 22 नवंबर 1984 को 1983 के ओएस 100 को वापस ले लिया गया। 1983 का ओएस 100 एक खाली निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा था और नहीं

घोषणा की गई थी। किसी भी मामले में योग्यता के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

49. कर्नाटक वक्फ बोर्ड द्वारा स्थापित 1983 का तीसरा मुकदमा निषेधाज्ञा सरलीकरण के लिए एक मुकदमा था। शीर्षक का कोई सवाल नहीं उठाया गया और न ही किसी पर निर्णय लिया गया। वास्तव में, मुकदमा इस आशंका पर दायर किया गया था कि संपत्ति के द्वारा अलग किए जाने की संभावना थी

अब्दुल खुद्दुस के कानूनी प्रतिनिधि। 1983 के मुकदमे को वापस लेने से पहले, जिस मुकदमे से ये कार्यवाही उत्पन्न होती है, उसे स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के संदर्भ में व्यापक राहत पाने के लिए स्थापित किया गया था। इसलिए, तीसरे मुकदमे में निर्णय उस मुकदमे की शुरुआत पर रोक नहीं लगाता है जिससे तत्काल कार्यवाही शुरू होती है।

50. उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालतों ने पहले मामले में मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व पर निर्णायक रूप से फैसला किया।

मुकदमा (ओएस 92/1950-51) और यह कि शीर्षक के उसी मुद्दे पर किसी भी बाद के मुकदमे को रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों द्वारा वर्जित किया जाएगा। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष गलत है।

द जामिया मस्जिद बनाम। श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

यह मानते हुए कि पहले मुकदमे में निर्णय ने निर्णायक रूप से निर्णय लिया है

यह कि मुकदमे की संपत्ति पर अधिकार अब्दुल खुद्दुस का है, उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 7 और 10 में टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया है

विचारण न्यायालय का निर्णय। यह विशेष रूप से वहाँ माना गया है कि सूट संपत्ति एक खाज़ी सेवा इनाम थी और अब्दुल खुद्दुस के पास एक है

मुकदमे की संपत्ति का प्रथम दृष्टया अधिकार। इस आशय का कोई निर्णय नहीं था कि अब्दुल खुद्दुस का मुकदमे की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार था।

इसके अतिरिक्त, पहले मुकदमे में अदालतों का निर्णय दिया गया था

इससे पहले कि मुकदमा संपत्ति को अधिसूचना सं. 1 के अनुसार वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था। एम. डब्ल्यू. बी. 19 (11) दिनांक 6 जुलाई 1965। रेस का सिद्धांत

इस प्रकार इस बदली हुई परिस्थिति को ध्यान में रखे बिना न्यायिकता को लागू नहीं किया जा सकता है।

51. हमारी यह भी राय है कि उच्च न्यायालय ने फैसले के आधार पर न्यायिक निर्णय के सिद्धांत को लागू करने में त्रुटि की है

दूसरे सूट में। यह उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया कि दूसरा

समझौता के संदर्भ में घोषित किए गए मुकदमे को रखने का इरादा था

मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए और इस प्रकार प्रति न्यायिक के सिद्धांत के आधार पर वाद संपत्ति के स्वामित्व पर किसी भी बाद के मुकदमे को रोक देगा। इस उद्देश्य के लिए, इस अदालत के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया था

बायराम पेस्टनजी गरीवाला (ऊपर) में जहां इसे एक चुनौती माना गया था

छह साल बाद एक सहमति डिक्री को देरी के कारण दूषित कर दिया गया था,

रोकने के लिए, और न्याय करने के लिए। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने दृष्टि खो दी तथ्य यह है कि समझौता विलेख विशेष रूप से इस संबंध में किया गया था

पट्टा के अंत में पट्टेदार द्वारा वाद संपत्ति का कब्जा सौंपना और वाद संपत्ति के स्वामित्व पर कोई समझौता नहीं करना।

पहुँच गया।

F. निष्कर्ष

52. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं

नीचेः

बाद के मुकदमे में उत्पन्न होने वाले मुद्दे या तो प्रश्न हो सकते हैं।

((i)

तथ्य या कानून या कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न। पहले मुकदमे में निर्णय के बाद परिस्थितियों में बदलाव के लिए, यदि कोई नया तथ्य सामने आता है जिसे साबित करना होता है, तो न्यायिक याचिका के निर्धारण के लिए एक परीक्षण की आवश्यकता होगी। हालाँकि, एक उपयुक्त मामले में न्यायनिर्णायक की याचिका को एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित किया जा सकता है जब इसे हल करने के लिए न तो तथ्य के विवादित प्रश्न और न ही कानून या तथ्य के मिश्रित प्रश्न पर निर्णय लेना पड़ता है; [2021] 11 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

प्रशासन के लिए एक योजना पर निर्णय लेते समय

सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत दायर प्रतिनिधि मुकदमा, यदि अधिकार का विरोध किया जाता है, तो अदालत को यह तय करना होगा कि क्या वह संपत्ति जिसके संबंध में प्रशासन के लिए योजना है।

और प्रबंधन ट्रस्ट के अंतर्गत आता है;

सी. पी. सी. की धारा 92 के तहत एक मुकदमा एक प्रतिनिधि चरित्र का होता है और ट्रस्ट में रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति मुकदमे के फैसले से बाध्य होंगे, और रुचि रखने वाले व्यक्तियों को उसी या काफी हद तक उसी मुद्दे पर बाद में मुकदमा शुरू करने से रोक दिया जाएगा।

चूँकि पहला मुकदमा (<ID1 का OS 92) जामिया मस्जिद में रुचि रखने वाले सदस्यों द्वारा दायर किया गया था और जिस मुकदमे से तत्काल कार्यवाही (1998 का OS 149) उत्पन्न होती है, वह जामिया मस्जिद के अध्यक्ष द्वारा दायर किया गया था, उपरोक्त (iii) में सूत्रीकरण संतुष्ट है।

पहले मुकदमे (1950 51 का ओएस 92) में इस बात पर कोई निर्णय नहीं था कि क्या अब्दुल खुद्दुस का मुकदमे की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार था। केवल प्रथम दृष्टया यह निर्धारित किया गया था कि पहले मुकदमे में संपत्तियों की अनुसूची की वस्तुएं 2 और 3 अब्दुल खुद्दुस की थीं। 1950-51 के OS 92 में मामले काफी हद तक जारी किए गए थे, जो इसके लिए एक मुकदमा था

न्यास संपत्तियों का प्रशासन और प्रबंधन और खाते, मुकदमे के मुद्दों से अलग हैं जिनमें से

तत्काल कार्यवाही उत्पन्न होती है। इसलिए, 1998 के ओएस 149 को पहले मुकदमे में निर्णय को देखते हुए रेस जुडिकाटा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है; जबकि एक पूर्व मुकदमे में एक समझौता डिक्री रेस जुडिकाटा के आधार पर बाद के मुकदमे को प्रतिबंधित नहीं करेगी, बाद के मुकदमे को आचरण द्वारा रोक दिया जा सकता है। हालाँकि, न तो 27 अक्टूबर 1969 की समझौता याचिका और न ही 27 अक्टूबर 1969 के दूसरे मुकदमे में अंतिम आदेश से संकेत मिलता है कि मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व पर समझौता किया गया है।

पहुँच गया था। समझौता पट्टा के अंत में पूर्व पट्टेदार द्वारा मुकदमा संपत्ति का कब्जा सौंपने के मुद्दे तक सीमित था; और

तीसरा सूट (ओएस 100/1983) एक निषेधाज्ञा सरलीकरण के लिए एक सूट था। हे जामिया मस्जिद बनाम के मुकदमे के बाद तीसरा मुकदमा वापस ले लिया गया था।

श्री के. वी. रुद्रप्पा (एस. आई. एन. सी. ई. डी. ए. डी.) एल. आर. एस. द्वारा। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जिसमें से तत्काल कार्यवाही एक ठोस घोषणा और एक निषेधाज्ञा की मांग के लिए दायर की गई थी। तीसरे मुकदमे में पक्षों के अधिकारों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

53. उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और कर्नाटक उच्च न्यायालय के 23 तारीख के अस्पष्ट निर्णय और आदेश को खारिज कर देते हैं।

2007 के आर. एस. ए. 2189 में जनवरी 2012। 1998 के ओएस 149 को मुकदमे के लिए प्रधान सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) तुमकुर को बहाल कर दिया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा 1998 में शुरू किया गया था, ट्रायल जज से मुकदमे का निपटारा करने और इस फैसले की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर मुकदमा पूरा करने के लिए कहा जाता है।

यहाँ लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

54. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपी

ल की अनुमति दी गई।

एनकिट ज्ञान